

वर्ष 2003-2004 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2003-2004**



*In the forefront of changes in delivery of
publicly managed services.*

2003-2004

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
एम्प्लोयी प्रविष्य निधि संगठन

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2003-2004**

EPF
India

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2003-2004**

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CORPORATE HEADQUARTERS
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066**

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Income & Expenditure Account - EPF -----	1
2.	Income & Expenditure Appropriation Account - EPF -----	3
3.	Balance Sheet - EPF -----	5
4.	Contribution Account - EPS -----	22
5.	Administration Account - EPS -----	24
6.	Balance Sheet - EPS -----	26
7.	Contribution Account - EDLI -----	31
8.	Administration Account - EDLI -----	33
9.	Balance Sheet - EDLI -----	35
10.	Audit Report -----	40
11.	Audit Certificate -----	55

EPF
India

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952**



**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Dr.

Previous Year	Sl. No.	EXPENDITURE	Sch. No.	Amount	(Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1,593,502,670.88	1.	Salaries of Officers and Staff		1,684,114,130.25	
264,246,685.09	2.	Allowances & Honorarium		285,886,662.36	
40,697,527.99	3.	T.A. & L.T.C		49,742,888.99	
457,769,380.56	4.	Pension/Family Pension/Death-cum-Retirement Gratuity		489,823,756.03	
0.00	5.	(a) Staff Provident Fund (Board's share)		0.00	
597,620.75		(b) S.P.F. D.L.I Benefits		1,052,868.28	
731,050,620.26	6.	(a) Other charges (Recurring/Non-recurring)		916,031,678.52	
35,872,254.62		(b) Maintenance of Office Buildings & Staff Quarters		33,226,840.62	
7,720,082.24	7.	(a) Grants		13,384,371.67	
0.00		(b) Refund of G.I.S Savings Fund		0.00	
<u>3,131,456,842.39</u>		Total Expenditure incurred on EPF Scheme		<u>3,473,263,196.72</u>	
	8.	<u>Expenditure incurred on Administration of</u>			
603,654,331.05		(a) E.P.S. Scheme		669,544,712.65	
37,728,395.69		(b) E.D.L.I Scheme		41,846,544.55	
0.00		(c) A.L.I.C.D.) Scheme		0.00	
2,305,082,674.89	9.	Excess of Income over Expenditure		3,900,388,353.81	
<u>6,077,922,244.02</u>		TOTAL		<u>8,085,042,807.73</u>	

**FOR THE YEAR, 2003-2004
FUND SCHEME, 1952)**

**EPF
India**

Previous Year	Sl. No.	INCOME	Sch. No.	Amount	Cr. (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5,317,341,211.95	1.	Receipts by way of Administrative Charges, Inspection Charges and Penal Damages	(I)	5,860,307,107.59	
701,410,075.46	2.	Interest earned on Investment of surplus Administration Fund		757,005,655.18	
29,579,924.45	3.	Receipt from Pension Fund & other Accounts	(II)	1,427,252,476.95	
29,591,032.16	4.	Miscellaneous Receipts		40,477,568.01	
0.00	5.	Excess of Expenditure over Income			0.00
6,077,922,244.02		TOTAL		8,085,042,807.73	



INCOME AND EXPENDITURE (EMPLOYEES' PROVIDENT

Dr.

Previous Year	Sl. No.	EXPENDITURE	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
0.00	1.	Excess of Expenditure over Income	0.00
500,000,000.00	2.	Provision for Building Construction Fund	500,000,000.00
24,127,745.38	3.	Provision for Maintenance (Repair & Renewal and Replacement) Fund	59,505,884.40
1,780,954,929.51	4.	Balance carried down to Balance Sheet	3,340,882,469.41
2,305,082,674.89		TOTAL	3,900,388,353.81

**APPROPRIATION ACCOUNT (2003-2004)
FUND SCHEME, 1952)**

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	INCOME	Cr. Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)
2,305,082,674.89	1.	Excess of Income over Expenditure	3,900,388,353.81
0.00	2.	Balance carried down to Balance Sheet	0.00
		TOTAL	3,900,388,353.81

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 10,848.42 Lakh	(i) The accounts have been compiled on actual basis	
Rs. 0.00 Lakh	(ii) Expenditure incurred on Administration of Employees' Pension Scheme due	Rs. 3,565.76 Lakh
Rs. 0.00 Lakh	(iii) Expenditure incurred on Administration of A.E.C.D. Scheme.	Rs. 0.00 Lakh
Rs. 4,946.93 Lakh	(iv) Estimated amount of arrears due from the employers but not received :	
	{ (a) Administrative Charges } { (b) Inspection Charges }	Rs. 5,707.30 Lakh

Sd/-
(ANIRUDH RAI)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



**BALANCE SHEET AS ON
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
558,161,488,446.16	1.	Employees' Provident Fund A/c	III	618,674,825,638.25
6,345,667,218.85	2.	Unclaimed Deposit Account	IV	9,429,511,660.93
7,987,896,610.71	3.	Special Reserve Fund	V	8,746,253,168.72
	4.	<u>Interest Suspense A/c:</u>		
23,601,089,984.60		(a) Balance in the Account to be credited to members Accounts upto 31.3.2003	VI	23,321,844,776.42
59,530,113,549.64		(b) Amount received during the year and to be credited to members Accounts next year		60,766,977,752.78
	5	<u>Staff Provident Fund Account :</u>		
2,060,480,480.36		(a) Staff Provident Fund A/c	VII	2,282,393,062.62
131,819,546.96		(b) Staff Provident Fund Interest A/c	VIII	199,134,160.92
2,611,369,926.20	6.	Pension-cum-Gratuity A/c (Staff)	IX	3,160,796,752.71
-1,486,326,262.66	7.	Investment Fluctuation A/c	X	-4,765,454,294.31
1,052,896.46	8.	Security Deposits		8,261,441.46
658,944,652,397.28		TOTAL		721,824,544,120.51

31ST MARCH, 2004
FUND SCHEME, 1952)



Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	Investment Account:		
653,471,615,479.49		(a) Employees' Provident Fund	XV	717,120,079,991.49
2,253,786,757.58		(b) Staff Provident Fund	XVI	2,601,751,062.62
2,576,005,807.58		(c) Pension-cum-Gratuity Fund	XVII	3,144,537,056.31
11,869,266,483.90		(d) Administration Fund	XVIII	15,622,073,419.58
	2.	Land and Building:		
2,079,419,514.61		(a) Assets acquired		2,048,469,005.66
846,034,133.17		(b) Advances paid		1,122,552,096.77
516,788,512.00	3.	Recoverable Advances	XIX	509,339,083.48
521,916,639.93	4.	Special Reserve Fund (Recoverable)		559,784,545.93
982,876.20	5.	Security Deposits (Advance to parties)		2,518,376.20
501,990,206.50	6.	Remittances in Transit	XX	579,635,500.53
37,849.80	7.	Cash in hand		48,051.50
82,971,411.17	8.	Cash at Bank	XXI	-1,297,678,940.17
895,363,683.98	9.	Sundry Debits	XXII	906,843,944.33
675,616,179,355.91		TOTAL		742,919,953,194.23



**BALANCE SHEET AS ON
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
658,944,652,397.28		Total B/F		721,824,544,120.51
5,218,859,880.08	9.	Building Construction Fund	XI	5,948,819,018.06
140,828,348.66	10.	Building Maintenance (Repair, renewal & replacement) Fund	XII	214,984,651.25
10,271,032,074.82	11.	Revenue Surplus	XIII	13,563,815,474.56
10,088,610.39	12.	(a) Group Insurance Scheme (Old)		10,088,610.39
-182,712.45		(b) Group Insurance Scheme (New)		-38,031.96
1,030,900,757.13	13.	Sundry Credits	XIV	1,357,739,351.42
675,616,179,355.91		TOTAL		742,919,953,194.23

31ST MARCH, 2004
FUND SCHEME, 1952)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
675,616,179,355.91		Total B/F		742,919,953,194.23

675,616,179,355.91	TOTAL	742,919,953,194.23
--------------------	-------	--------------------

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
	(i) The Accounts have been compiled on actual basis	
	(ii) Estimated amount due from the employers but not received:	
Rs. 1,51,179.00 Lakh	(a) E.P.F. Contribution	Rs. 1,86,280.00 Lakh
Rs. 11,281.43 Lakh	(b) Penal Damages on Contribution, Admn. Charges and Inspection Charges	Rs. 18,646.93 Lakh
	(iii) The investment of SPF and Pension-cum-Gratuity Funds are shown in the Balance Sheet at Cost Price.	
	(iv) Out of the Building Construction Fund of Rs. 594,88,19,018.06 the cost of Land & Building acquired as on 31.3.2004 including the advances paid is Rs. 317,10,21,102.43 and the balance of Rs. 277,77,97,915.63 is invested alongwith EPF Administration Fund.	
	(v) All the fixed assets except Land & Building are treated as Revenue Expenditure and no depreciation is provided on Land & Building as per Manual provisions.	

Sd/

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. I				
Details of Income				
4,820,049,239.50		1. Admn. Charges	5,367,011,496.81	
456,378,659.56		2. Inspection Charges	427,563,603.08	
21,888,464.87		3. Penal Damages	33,139,037.18	
19,024,848.02		4. 7Q Interest	32,592,970.52	
<u>5,317,341,211.95</u>		TOTAL	<u>5,860,307,107.59</u>	
SCHEDULE No. II				
Receipts from Pension fund and other Accounts :				
	0.00	1. From Pension fund for Admn. of Employees' Pension Scheme	1,406,730,716.95	
	29,579,924.45	2. From other Accounts	20,521,760.00	
	<u>29,579,924.45</u>	TOTAL	<u>1,427,252,476.95</u>	
Details of Receipt from other Accounts				
	7,780,000.00	1. From EDLI Fund for Administration of EDLI Scheme	34,150,000.00	
	0.00	2. From other Accounts	0.00	
	<u>7,780,000.00</u>		<u>34,150,000.00</u>	
Less :				
	0.00	1. Amount transferred to other Accounts	0.00	
	-21,799,924.45	2. Transferred from A/c No. 2 to A/c No. 4 & Vice-Versa as per Regional Office Accounts & Head Office Account	13,628,240.00	
	<u>-21,799,924.45</u>	TOTAL	<u>13,628,240.00</u>	
	<u>29,579,924.45</u>	BALANCE	<u>20,521,760.00</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.	<u>SCHEDULE No. III</u>	Rs.	P.
		<u>Employees' Provident Fund A/c</u>		
507,158,609.842	01	Balance as per last Balance Sheet	558,161,488,446.16	
		Add :		
75,287,667.502	60	1. Contribution (including refund of withdrawal) received	82,434,065,354.12	
830,832,119.92		2. Contribution received by way of transferred securities (HQ Office contra)	585,076,279.00	
54,408,315,033.22		3. Interest credited to members accounts	58,545,476,368.30	
1,541,532,303.23		4. Other Receipts	2,395,113,703.77	
<u>639,226,956,800.98</u>		TOTAL	<u>702,121,220,151.35</u>	
		Less :		
55,062,804,775.60		1. Payment made to out going members on final settlement	59,071,501,203.94	
648,611,318.45		2. Premia paid on members Life Insurance Policies	228,549,227.50	
20,050,471,111.60		3. Loan paid to members	16,608,604,892.80	
0.00		4. Employers share forfeited	0.00	
2,686,257,794.64		5. Unclaimed Deposit Account	3,646,969,072.58	
2,575,633,154.53		6. Miscellaneous Payment	3,889,268,016.28	
41,690,200.00		7. Amount of securities transferred back to exempted establishments	1,502,100.00	
<u>81,065,468,354.82</u>		TOTAL	<u>83,446,394,513.10</u>	
<u>558,161,488,446.16</u>		BALANCE	<u>618,674,825,638.25</u>	



2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. IV		
		Unclaimed Deposit A/C		
3,819,131,961.71		Balance as per last Balance Sheet	6,345,667,218.85	
		Add :		
2,686,257,794.64		Amount transferred during the year	3,646,969,072.58	
<u>6,505,389,756.35</u>		TOTAL	<u>9,992,636,291.43</u>	
		Less :		
159,722,537.50		Amount paid during the year	563,124,630.50	
<u>6,345,667,218.85</u>		BALANCE	<u>9,429,511,660.93</u>	
		SCHEDULE No. V		
		Special Reserve Fund		
7,295,124,858.18		Balance as per last Balance Sheet	7,987,896,610.71	
		Add :		
1,272.00		1. Amount received from Employers	0.00	
693,036,861.53		2. Interest on SRF Account	758,850,178.02	
<u>7,988,162,991.71</u>		TOTAL	<u>8,746,746,788.72</u>	
		Less :		
150,071.00		1. Amount paid as death relief	-52,771.00	
116,310.00		2. Amount paid from SRF Account	546,391.00	
<u>266,381.00</u>		TOTAL	<u>493,620.00</u>	
<u>7,987,896,610.71</u>		BALANCE	<u>8,746,253,168.72</u>	

2002-2003		<u>SCHEDULE No. VI</u>	2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>Interest Suspense A/c</u>		
79,294,885,594.75		Balance as per last Balance Sheet	83,131,203,534.24	
		Less:		
54,408,315,033.22		1. Interest credited to members' accounts	58,545,476,368.30	
	0.00	2. Interest paid on deposits refunded to exempted estts.		0.00
480,977,387.74		3. Interest paid to vendors	505,032,211.50	
693,036,861.53		4. Interest accrued on SRF A/c adjusted	758,850,178.02	
111,466,327.66		5. Interest accrued on Fluctuation Account adjusted		0.00
<u>55,693,795,610.15</u>		TOTAL	<u>59,809,358,757.82</u>	
23,601,089,984.60		Balance in the Accounts to be credited to the subscribers accounts upto 31.3.2004	23,321,844,776.42	
		Add :		
59,077,461,785.09		1. Interest realised on investment of securities	59,981,189,368.19	
	220,638.13	2. Interest on Savings Bank Accounts (Central)	176,020.69	
69,942,728.31		3. Interest on Savings Bank Accounts (Regional)	60,746,170.21	
2,709,257.11		4. Interest on securities received from the establishments	1,847,962.48	
11,490,622.54		5. Interest realised from members on loans	5,389,031.83	
368,288,518.46		6. Penal Damages on belated contributions received	717,629,199.38	
<u>59,530,113,549.64</u>		TOTAL	<u>60,766,977,752.78</u>	
<u>83,131,203,534.24</u>		BALANCE	<u>84,088,822,529.20</u>	



2002-2003		<u>SCHEDULE No. VII</u>	2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
A. Staff Provident Fund				
1,766,390,887.19		Balance as per last Balance Sheet		2,025,555,824.19
675,978,641.00		Add :		
	0.00	1. Contribution & including refund of withdrawal		765,274,842.26
166,680,429.00		2. Boards' Share		0.00
		3. Interest credited to members' accounts		158,809,194.00
<u>2,609,049,957.19</u>		TOTAL		<u>2,949,639,860.45</u>
274,603,400.00		Less :		
	0.00	1. Payment made to outgoing members on final settlement		327,855,758.00
242,162,790.00		2. Premia paid on members' Life Insurance Policies		0.00
66,727,943.00		3. Loan paid to members		245,066,205.00
		4. Other payments (transfer to other Regions)		94,671,165.00
<u>583,494,133.00</u>		TOTAL		<u>667,593,128.00</u>
<u>2,025,555,824.19</u>		BALANCE		<u>2,282,046,732.45</u>
B. SPF A/c transferred from other Regions				
40,769,506.17		Balance as on 1st April		34,924,656.17
66,727,943.00		Add :		
		Amount transferred to the Regions		94,671,165.00
<u>107,497,449.17</u>		TOTAL		<u>129,595,821.17</u>
72,572,793.00		Less :		
		Amount received from other regions		129,249,491.00
<u>34,924,656.17</u>		BALANCE		<u>346,330.17</u>
<u>2,060,480,480.36</u>		TOTAL (A+B)		<u>2,282,393,062.62</u>

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. VIII				
Staff Provident Fund Interest Account				
85,822,196.95		Balance as per last Balance Sheet	131,819,546.96	
		Add :		
220,508,550.74		1. Interest realised on investment of securities	230,783,285.24	
11,116.50		2. Interest on Savings Bank Account	4,205.32	
<u>306,341,864.19</u>		TOTAL	<u>362,607,037.52</u>	
		Less :		
166,680,429.00		1. Interest credited to members' accounts	158,809,194.00	
7,841,888.23		2. Interest paid to vendors	4,663,682.60	
<u>174,522,317.23</u>		TOTAL	<u>163,472,876.60</u>	
<u>131,819,546.96</u>		BALANCE	<u>199,134,160.92</u>	
SCHEDULE No. IX				
Pension-cum-Gratuity A/c				
2,081,436,917.56		Balance as per last Balance Sheet	2,611,369,926.20	
		Add :		
300,000,000.00		1. Amount transferred from A/c No. 4	300,000,000.00	
3.10		2. Interest realised on Saving Bank Account	19.10	
238,909,929.37		3. Interest realised on Securities	258,008,997.42	
<u>2,620,346,850.03</u>		TOTAL	<u>3,169,378,942.72</u>	
		Less :		
0.00		1. Payment made by the Regions	0.00	
8,976,923.83		2. Interest paid to vendors	8,582,190.01	
<u>8,976,923.83</u>		TOTAL	<u>8,582,190.01</u>	
<u>2,611,369,926.20</u>		BALANCE	<u>3,160,796,752.71</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.	<u>SCHEDULE No. X</u>	Rs.	P.
		<u>Investment Fluctuation Account</u>		
1,173,329,764.88		A. Gain on redemption of securities accounted upto 2002-2003	-1,486,326,262.66	
-2,771,122,355.20		B. Gain/loss on purchase of securities	-3,279,128,031.65	
111,466,327.66		C. Interest of Fluctuation A/c		0.00
<u>-1,486,326,262.66</u>		TOTAL	<u>-4,765,454,294.31</u>	
	0.00	Less :		
		Gain/Loss on sale of securities		0.00
<u>-1,486,326,262.66</u>		BALANCE	<u>-4,765,454,294.31</u>	
		<u>SCHEDULE No. XI</u>		
		<u>Building Construction Fund :</u>		
4,449,780,760.32		Balance as per last Balance Sheet	5,218,859,880.08	
		Add :		
500,000,000.00		1. Provisions made during the year	500,000,000.00	
269,079,119.76		2. Interest credited to the Fund	229,959,137.97	
<u>5,218,859,880.08</u>		TOTAL	<u>5,948,819,018.06</u>	

Note :

The cost of land and building acquired including advances paid as on 31.3.2004 is Rs. 3,171,021,102.43 and the amount available for construction purposes as on 31.3.2004 is Rs. 2,777,797,915.63

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. XII</u>		
		<u>Building Maintenance (Repair, Renewal and Replacement) Fund :</u>		
105,756,434.50		Balance as per last Balance Sheet	140,828,348.66	
		Add :		
24,127,745.38		1. Amount appropriated from Revenue Surplus	59,505,884.40	
10,944,168.78		2. Interest credited to the Fund	14,650,418.19	
<u>140,828,348.66</u>		TOTAL	<u>214,984,651.25</u>	
		<u>SCHEDULE No. XIII</u>		
		<u>Revenue Surplus</u>		
8,493,222,128.83		Balance as per last Balance Sheet	10,271,032,074.82	
		Add :		
2,219,175.48		1. Amount adjusted by the Regional Office	1,774,211.00	
1,780,954,929.51		2. Excess of Income over Expenditure transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	3,340,882,469.41	
<u>10,276,396,233.82</u>		TOTAL	<u>13,613,688,755.23</u>	
		Less :		
5,364,159.00		1. Amount Adjusted by Regional Offices	49,873,280.67	
0.00		2. Excess of Expenditure over Income transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	0.00	
<u>5,364,159.00</u>		TOTAL	<u>49,873,280.67</u>	
<u>10,271,032,074.82</u>		BALANCE	<u>13,563,815,474.56</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. XIV</u>		
		<u>Sundry Credits</u>		
		A. Regional :		
328,298,350.07		a. (i) Suspense Account (EPF)	631,839,187.24	
203,453,086.67		(ii) Suspense Account (Adm. Fund)	206,714,235.20	
1,191,058.26		(iii) Suspense Account (SPF)	0.00	
4,508,601.18		b. Over Payments	5,701,078.03	
7,618,288.47		c. Irregular Payments	27,154,762.47	
0.00		d. AECD (DA) A/c	0.00	
895,000.00		e. Amount payable to EDLI Account	895,000.00	
		B. Central :		
85,699,390.00		a. Excess credits in E.P.F Investment Accounts	85,699,390.00	
0.00		b. Excess Credits in SPF Investment Account	0.00	
0.00		c. Excess Credits in Pen-Cum-Grat. Fund Inv. A/C	0.00	
875,009.00		d. Amount not accounted for by the Regions though received in A/c No. 5 from A/c No.1	875,009.00	
122,513,339.00		e. Amount credited to Account No. 1 but not debited to A/c No. 5	122,513,339.00	
246,456,403.60		f. Excess credits to Account No. 5	248,890,329.60	
26,455,423.88		g. Excess credits to Account No. 8	26,454,000.88	
2,936,807.00		h. Excess credits to Account No. 9	1,003,020.00	
1,030,900,757.13		TOTAL :	1,357,739,351.42	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. XV				
Investment Account of Employees' Provident Fund				
A. Securities Purchased Centrally				
596,991,658,995.74		Balance as per last Balance Sheet	650,317,089,446.91	
Add :				
68,827,194,623.37		1. Amount invested centrally (Cost Price)	129,777,792,031.65	
- 2,771,122,355.20		2. Gain/Loss on purchase of securities	-3,279,128,031.65	
<u>663,047,731,263.91</u>		TOTAL	<u>776,815,753,446.91</u>	
Less :				
	0.00	1. Gain/Loss on sale of securities		0.00
12,730,641,817.00		2. Securities redeemed during the year	63,433,773,667.00	
<u>32,730,641,817.00</u>		TOTAL	<u>63,433,773,667.00</u>	
<u>650,317,089,446.91</u>		BALANCE (A)	<u>713,381,979,779.91</u>	
B. Securities transferred by Regions				
2,365,384,112.66		Balance as per last Balance Sheet	3,154,526,032.58	
Add :				
330,832,119.92		1. Securities received (Accepted Value)	585,076,279.00	
	0.00	2. Other Adjustments		0.00
<u>3,196,216,232.58</u>		TOTAL	<u>3,739,602,311.58</u>	
Less :				
41,690,200.00		Securities returned to Establishments (Accepted Value)	1,502,100.00	
<u>3,154,526,032.58</u>		BALANCE (B)	<u>3,738,100,211.58</u>	
<u>653,471,615,479.49</u>		TOTAL (A) + (B)	<u>717,120,079,991.49</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
<u>SCHEDULE No. XVI</u>				
<u>Investment Account of</u>				
<u>Staff Provident Fund</u>				
1,943,696,783.83		Balance as per last Balance Sheet	2,253,786,757.58	
411,463,373.75		Add :		
<u>2,355,160,157.58</u>		Amount invested Centrally (Purchase Price)	475,443,805.04	
		TOTAL	<u>2,729,230,562.62</u>	
101,373,400.00		Less :		
<u>2,253,786,757.58</u>		Value of Securities redeemed	127,479,500.00	
		BALANCE	<u>2,601,751,062.62</u>	
<u>SCHEDULE No. XVII</u>				
<u>Investment Account of Pension-cum-Gratuity Fund (Staff) :</u>				
2,081,890,397.60		Balance as per last Balance Sheet	2,576,005,807.58	
590,248,009.98		Add :		
<u>2,672,138,407.58</u>		Amount invested centrally (Purchase Price)	789,063,548.73	
		TOTAL	<u>3,365,069,356.31</u>	
96,132,600.00		Less :		
<u>2,576,005,807.58</u>		Value of securities redeemed	220,532,300.00	
		BALANCE	<u>3,144,537,056.31</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. XVIII</u>		
		<u>Investment Account of Administration Fund</u>		
9,684,962,119.90		Balance as per last Balance Sheet	11,869,266,483.90	
2,186,433,364.00		Add :	3,781,615,211.35	
<u>11,871,395,483.90</u>		Amount invested	<u>15,650,881,695.25</u>	
		TOTAL		
2,129,000.00		Less :	28,808,275.67	
<u>11,869,266,483.90</u>		Securities redeemed	<u>15,622,073,419.58</u>	
		BALANCE		
		<u>SCHEDULE No. XIX</u>		
		<u>Recoverable Advances (Staff)</u>		
63,339,001.15		a. Conveyance Advance	57,233,215.86	
422,052,786.96		b. House Building Advance	415,849,172.96	
123,795.00		c. Fan Advance	157,045.00	
60,385.75		d. Warm Clothing Advance	15,061.75	
10,980,443.10		e. Festival Advance	11,270,903.50	
1,738,940.85		f. Natural Calamity Advance	1,041,325.85	
14,020,879.67		g. Advance of Pay DA/TA	17,722,716.04	
71,498.25		h. Food Grain Advance	1,217.25	
376,332.00		i. Advance to Staff Co-operative Canteen/Store	358,332.00	
0.00		j. Computer Advance	2,665,484.43	
4,024,449.27		k. Miscellaneous Payments	3,024,608.84	
<u>516,788,512.00</u>		TOTAL	<u>509,339,083.48</u>	
		<u>SCHEDULE No. XX</u>		
		<u>Amount in Transit</u>		
152,379,699.88		a. EPF Account No. 4	142,087,089.88	
264,208,204.40		b. EPF Account No. 5	368,708,070.40	
40,556,556.22		c. EPF Account No. 8	23,992,267.25	
0.00		d. EPF Account No. 9	0.00	
18,080.00		e. Head Office A/c No. 4a	20,407.00	
44,827,666.00		f. EPF Investment Account	44,827,666.00	
0.00		g. SPF Investment Account	0.00	
0.00		h. Pension-cum-Gratuity Fund Investment Account	0.00	
<u>501,990,206.50</u>		TOTAL	<u>579,635,500.53</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
SCHEDULE No. XXI				
<u>Cash Book Balance / Cash At Bank</u>				
A. Cash Book Balance				
-1,297,345,747.15		a EPF Account No. 1	-1,813,798,356.30	
300,972,674.54		b. EPF Account No. 2	329,479,715.28	
-1,963,357.55		c EPF Account No. 3	0.00	
13,330,689.82		d. EPF Account No. 4	24,907,389.32	
35,272,579.59		e EPF Account No. 5	15,574,032.78	
2,639,980.43		f EPF Account No. 8	3,165,698.75	
866.19		g EPF Account No. 9	73.29	
-32,524,469.59		h. Head Office	-448,954.56	
4,752,323.25		i NATRSS	6,409,378.12	
8,801,090.82		j EPF Appellate Tribunal	8,790,654.01	
<u>-966,063,369.65</u>		TOTAL (A)	<u>-1,425,920,369.31</u>	
B. Cash at Bank				
988,340,804.13		a EPF Investment Account	105,879,596.17	
22,926,802.77		b. SPF Investment Account	5,632,100.37	
37,767,173.92		c Pension-cum-Gratuity Investment Account	16,729,732.60	
<u>1,049,034,780.82</u>		TOTAL (B)	<u>128,241,429.14</u>	
<u>82,971,411.17</u>		TOTAL (A) + (B)	<u>-1,297,678,940.17</u>	
SCHEDULE No. XXII				
<u>Sundry Debits :</u>				
A. Suspense (Unclassified) Account				
319,841,635.39		a E.P.F	281,769,659.93	
53,588,299.34		b Administration	58,658,027.83	
0.00		c SPF	0.00	
4,508,601.18		B. Over Payments	5,701,078.03	
7,618,288.47		C. Irregular Payments	27,154,762.47	
325,000,869.95		D. Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9		
184,805,989.65		a Excess accounted for by Regional offices as transfer to A/c No. 5 from A/c No. 1 & vice versa	459,393,612.45	
0.00		b. Extra debit made to Account No. 5	54,305,864.65	
0.00		c. Excess accounted for by Regional offices as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 & vice-versa	19,860,913.97	
0.00		d. Erroneous debit made to Account No. 9	25.00	
0.00		E. Theft	0.00	
<u>895,363,683.98</u>		TOTAL	<u>906,843,944.33</u>	

EPF
India

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution**

Dr.

Previous Year	S. No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
400,391,655,190.38	1.	Opening Balance as on 01-04-2003	469,025,784,839.54
43,878,434,524.81	2.	(a) Contribution of Employers	54,925,475,869.19
3,829,862,491.00		(b) Contribution of Govt. 2003-2004	2,219,540,227.00
170,137,509.00		(c) Arrears of contribution of Govt up to the year 2002-2003	2,280,459,723.00
16,482,600,000.00	3.	Interest on the balance in the Public Account	18,154,300,000.00
41,785,803.16	4.	Interest on Saving Bank Account	98,067,300.73
25,447,035,132.01	5.	Interest received on Securities	28,635,212,798.59
	6.	<u>Other Receipts :</u>	
184,577,841.30	(a)	Regional Contribution Account No. 10	1,303,427,193.60
0.00	(b)	Central Contribution Account No. 11	0.00
490,426,088,491.66	TOTAL		576,642,267,951.65

SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2003-2004
Account)

EPF
India

			Cr.
Previous Year	Sl.No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)
	1.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries :	
0.00		(a) Amount of Employee's share with interest	0.00
7,888,397,079.40		(b) Withdrawal/Retirement Benefits	8,579,988,336.14
1,168,008.00		(c) Life Assurance Benefits	638,451.00
12,096,302,071.83		(d) Pension	14,968,802,012.63
152,489,952.52	2.	Amount paid as commission for disbursement of Pension	156,815,607.91
0.00	3.	Amount paid towards Pension Fund Administrative expenses	1,406,730,716.95
0.00	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption	0.00
1,249,728,371.79	5.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	533,645,511.74
	6.	<u>Other Payments :</u>	
12,218,168.58		(a) Regional Contribution Account No. 10	9,505,327.30
0.00		(b) Central Contribution Account No. 11	0.00
469,025,784,839.54	7.	Closing Balance	550,986,141,987.98
490,426,088,491.66		TOTAL	576,642,267,951.65

Sd/-
(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration)**

Previous Year	S.No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
0.00	1.	Amount received from Government towards cost of administration 2003-2004	0.00
0.00	2.	Amount received from Pension Fund towards Administrative expenses	1,406,730,716.95
1,084,841,717.19	3.	Amount received from EPF Administration Account C-F	356,576,001.85
1,084,841,717.19	TOTAL		1,763,306,718.80

SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2003-2004
Account)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413,331,212.95	1.	Amount incurred from EPF Administration Account B.F. as on 1.4.2003		1,084,841,717.19
	2.	<u>Payment of Administration</u>		
	(A)	<u>Revenue Expenditure</u>		
307,181,237.75	(a)	Salaries	324,648,507.04	
50,939,120.01	(b)	Allowances & Honorariums	55,110,681.90	
7,845,306.60	(c)	T.A. & L.T.C	9,588,990.65	
88,244,699.87	(d)	Pension/Gratuities (Staff)	94,423,856.59	
115,204.00	(e)	SPF DLI Benefits	202,962.56	
140,925,420.78	(f)	Other charges (Recurring and Non-recurring)	176,584,419.97	
1,488,208.62	(g)	Grants	2,580,119.84	
6,915,133.42	(h)	Maintenance and Repairs of Office Building etc.	6,405,174.10	
603,654,331.05	TOTAL		669,544,712.65	669,544,712.65
	(B)	<u>Capital expenditure</u>		
67,856,173.19		Construction of office Building/Staff Quarters etc.		8,920,288.96
1,084,841,717.19	TOTAL			1,763,306,718.80

Sd/-
(ANIRUDH RAI)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



**EMPLOYEES' PENSION
BALANCE SHEET AS ON**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
469,025,784,839.54	1.	Employees' Pension Fund Contribution Account.		550,986,141,987.98
1,084,841,717.19	2.	<u>Employees' Pension Fund Admn. Account:</u> Amount incurred from EPF Administration Account		356,576,001.85
13,064,407,262.14	3.	Investment Fluctuation Account		-19,230,453,768.70
516,946,492.40	4.	Sundry Credits	1	468,863,532.90
457,563,165,786.99		TOTAL		532,581,127,754.03

SCHEME-1995
31ST MARCH, 2004

EPF
India

Previous year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
210,676,420,291.86	1.	Employees' Pension Fund Contribution Investment kept in Deposit with public account	II	233,330,720,241.86
239,775,628,543.64	2.	Investment in Securities	III	294,085,881,543.64
	3.	<u>Employees' Pension Fund Administration Account</u>		
0.00	a)	Amount recoverable from Central Government		0.00
1,084,841,717.19	b)	Amount recoverable from Pension Fund		356,576,001.85
4,645,714,116.44	4.	Cash Book Balance/ Contribution Account	IV	3,353,785,057.62
324,544,689.84	5.	Remittances in transit		231,945,744.84
1,056,016,428.02	6.	Sundry Debits	V	1,222,219,164.22
457,563,165,786.99	TOTAL			532,581,127,754.03

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 34,295.43 lakh	(i) Pension contribution due from employers of exempted and unexempted establishment as on 31.3.2004	Rs. 40,877.96 lakh
Rs. 2,280,459,723.74	(ii) Pension Contribution due from Government as on 31.3.2004	Rs. 5,429,145,488.00
Rs. 1,084,841,717.19	(iii) Pension Administrative cost due from pension fund as on 31.3.2004	Rs. 356,576,001.85
	(iv) The investment in securities are shown in Balance Sheet at Face Value.	
	(v) The accounts have been compiled on actual basis.	

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER.

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. I</u>		
		<u>Sundry Credits</u>		
272,454,626.52		1. Account No. 10	259,801,413.02	
244,491,865.88		2. Account No. 11	209,062,119.88	
516,946,492.40		BALANCE	468,863,532.90	
		<u>SCHEDULE No. II</u>		
		<u>Amount kept in deposit with Public Account</u>		
190,193,820,291.86		Balance as per last Balance Sheet	210,676,420,291.86	
	0.00	Add :		
170,137,509.00		(i) Amount deposited in Public Account	0.00	
3,829,862,491.00		(ii) Arrears of Govt. Share upto 2002-2003	2,280,459,723.00	
16,482,600,000.00		(iii) Govt. share of Contribution 2003-2004	2,219,540,227.00	
210,676,420,291.86		(iv) Interest on Public Account	18,154,300,000.00	
		BALANCE	233,330,720,241.86	

2002-2003		<u>SCHEDULE No. III</u>	2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>Investment in securities</u>		
		<u>A. Securities purchased Centrally</u>		
200,304,346,483.19		Balance as per last Balance Sheet	239,775,628,543.64	
		Add		
64,090,125,514.95		1. Amount Invested Centrally (Cost Price)	90,950,974,506.56	
-6,919,853,454.50		2. Gain/loss on purchase of Securities	-6,166,046,506.56	
<u>257,474,618,543.64</u>		TOTAL	<u>324,560,556,543.64</u>	
		Less		
	0.00	1. Gain/Loss on Sale of Securities	0.00	
17,698,990,000.00		2. Securities redeemed	30,474,675,000.00	
<u>17,698,990,000.00</u>		TOTAL	<u>30,474,675,000.00</u>	
<u>239,775,628,543.64</u>		BALANCE (A)	<u>294,085,881,543.64</u>	
		<u>B. Securities transferred by Regions</u>		
	0.00	Balance as per last Balance Sheet (Accepted Value)	0.00	
		Add :		
	0.00	1. Securities received (Accepted Value)	0.00	
	0.00	2. Other adjustment	0.00	
	0.00	TOTAL :	0.00	
	0.00	Less :		
	0.00	Securities returned to establishments (Accepted Value)	0.00	
	0.00	BALANCE (B)	0.00	
<u>239,775,628,543.64</u>		TOTAL (A+B)	<u>294,085,881,543.64</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. IV</u>		
		<u>Cash Book Balance</u>		
2,129,982,465.75		1. Account No. 10	3,242,241,859.50	
33,140,878.23		2. Account No. 11	78,147,645.37	
2,482,590,772.46		3. Balance with SBI Mumbai	33,395,552.75	
4,645,714,116.44		BALANCE	3,353,785,057.62	
		<u>SCHEDULE No. V</u>		
		<u>Sundry Debits</u>		
897,756,437.21		1. Account No. 10	1,065,559,364.41	
158,259,990.81		2. Account No. 11	156,659,799.81	
1,056,016,428.02		BALANCE	1,222,219,164.22	
		<u>SCHEDULE No. VI</u>		
		<u>Other Receipts</u>		
		<u>Regional Contribution Account No. 10</u>		
116,898,343.68		(a) Penal Damages	396,976,415.84	
39,920,009.86		(b) 7Q Interest	824,230,367.76	
24,551,575.91		(c) Undelivered refunds credited	36,980,186.79	
19,426,521.45		(d) Amount received from A/c No. 1 on account of diversion of fund.	40,497,376.81	
3,207,911.85		(e) Amount received from other Regions	3,736,964.40	
0.00		(f) Miscellaneous receipts	1,005,882.00	
204,004,362.75		TOTAL	1,303,427,193.60	

EPF
India

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
INSURANCE SCHEME, 1976



**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution)**

Previous Year	Sl.No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
31,479,015,425.38	1.	Opening Balance as on 01-04-2003	35,393,585,171.09
1,586,167,609.99	2.	(a) Contribution of Employers	1,753,593,853.07
0.00		(b) Contribution of Govt. 2003-2004	0.00
2,210,800,000.00	3.	Interest on Investment in Public Account	2,398,700,000.00
677,047,343.98	4.	Interest on Investment in securities	795,397,723.75
1,724,660.29	5.	Interest on Savings Bank Account	1,756,399.92
16,652,529.11	6.	Penal Damages	27,775,658.20
	7.	<u>Other Receipts in</u>	
16,077.38	a)	Account No. 21	46,051.00
0.00	b)	Account No. 25	0.00
35,971,423,646.13		TOTAL	40,370,854,857.03

INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2003-2004
Account)

EPF
India

Previous Year	Sl. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)
545,257,827.50	1.	Assurance benefits	507,805,409.92
0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption	0.00
32,343,540.54	3.	Amount Paid as accrued interest on purchase of securities	22,279,241.22
237,107.00	4.	<u>Other Payments in</u>	
0.00		a) Account No. 21	44,685.00
		b) Account No. 25	0.00
35,393,585,171.09	5.	Closing Balance	39,840,725,520.89
35,971,423,646.13	TOTAL		40,370,854,857.03

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
BALANCE SHEET AS ON**

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35,393,585,171.09	1.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Account		39,840,725,520.89
8,070,479,241.38	2.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Adm. Account		8,716,099,702.95
-386,141,713.13	3.	Investment Fluctuation Account		-685,138,682.27
223,061,209.00	4	Sundry Credits	1	198,713,895.86
43,300,983,908.34		TOTAL		48,070,400,437.43

INSURANCE SCHEME - 1976
31ST MARCH, 2004

E.P.F.
India

Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	<u>Investment Account</u>		
		(a) <u>Employees' Deposit Linked Insurance</u>		
6,632,219,209.05	(i)	Investment in Securities	II	8,423,551,209.05
28,220,014,794.14	(ii)	Deposit in Public Account	III	30,618,714,794.14
		(b) <u>Employees' Deposit Linked Insurance Adm. Fund Account</u>		
8,100,446,648.25	(i)	Amount invested in deposits	IV	8,761,252,159.01
-44,237,057.31	(ii)	Amount due from E.P.F. Adm. Account	V	-52,491,119.92
143,952,627.37	2.	Cash Balance	VI	104,313,186.83
150,758,036.43	3.	Remittances in transit	VII	117,540,081.38
97,862,653.43	4.	Sundry Debits	VIII	97,520,126.94
43,300,983,908.34		TOTAL		48,070,400,437.43

Previous Year

Rs. 2,612.56 Lakh

Rs. 317.61 Lakh

Foot Note:

1. E.D.L.I. Contribution due from employers as on 31-3-2004
2. E.D.L.I. Adm. and Inspection charges due from employers as on 31-3-2004
3. The investment in securities are shown in the Balance Sheet at Face Value.
4. The accounts have been compiled on actual basis.

Current Year

Rs. 3,445.97 Lakh

Rs. 336.90 Lakh

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		SCHEDULE No. I		
		Sundry Credits		
33,265,273.76		1. Excess credit in A/c No. 21	30,787,385.87	
113,793,585.73		2. Excess credit in A/c No. 25	86,069,864.38	
1,344,061.55		3. Excess credit in RBI A/c	1,344,061.55	
15,492,395.41		4. Excess credit in A/c No. 22	13,956,288.36	
59,165,892.55		5. Excess credit in A/c No. 24	66,556,295.70	
<u>223,061,209.00</u>		BALANCE	<u>198,713,895.86</u>	
		SCHEDULE No. II		
		A. Securities Purchased Centrally		
5,238,854,056.67		Balance as per last Balance Sheet	6,632,216,209.05	
		Add :		
2,054,240,167.18		1. Amount invested centrally (Cost Price)	2,857,451,969.14	
-205,378,014.80		2. Gain/Loss on purchase of securities	-298,996,969.14	
<u>7,087,716,209.05</u>		TOTAL	<u>9,190,671,209.05</u>	
		Less :		
0.00		1. Gain/Loss on sale of securities	0.00	
455,500,000.00		2. Securities redeemed	767,120,000.00	
<u>455,500,000.00</u>		TOTAL	<u>767,120,000.00</u>	
<u>6,632,216,209.05</u>		BALANCE (A)	<u>8,423,551,209.05</u>	
		B. Securities transferred by Regions		
0.00		Balance as per last Balance Sheet	0.00	
		(Accepted Value)		
		Add :		
0.00		1. Securities received (Accepted Value)	0.00	
0.00		2. Other adjustments	0.00	
<u>0.00</u>		TOTAL	<u>0.00</u>	
		Less :		
0.00		Securities returned to Establishments	0.00	
		(Accepted Value)		
<u>0.00</u>		BALANCE (B)	<u>0.00</u>	
<u>6,632,216,209.05</u>		BALANCE (A+B)	<u>8,423,551,209.05</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. III</u>		
		<u>Amount Deposited in Public A/c</u>		
26,009,214,794.14		Balance as per last Balance Sheet	28,220,014,794.14	
	0.00	1. Deposits made during the year		0.00
	0.00	2. Govt share of contribution 2003-2004		0.00
	0.00	3. Govt. share arrears upto 2002-2003		0.00
2,210,800,000.00		4. Interest on balance in Public Account	2,398,700,000.00	
<u>28,220,014,794.14</u>		BALANCE	<u>30,618,714,794.14</u>	
		<u>SCHEDULE No. IV</u>		
		<u>Amount Invested</u>		
7,329,101,026.23		Balance as per last Balance Sheet	8,100,416,645.23	
		Add :		
74,630,000.00		a) Amount deposited during the year	50,910,000.00	
696,685,619.00		b) Interest on SDA during the year	609,925,513.78	
<u>8,100,416,645.23</u>		TOTAL	<u>8,761,252,159.01</u>	
		Less :		
	0.00	Amount redeemed		0.00
<u>8,100,416,645.23</u>		BALANCE	<u>8,761,252,159.01</u>	
		<u>SCHEDULE No. V</u>		
		<u>Amount due from EPF Admn. A/c</u>		
		A. Transaction in A/c No. 24		
-10,047,650.80		Balance as per last Balance Sheet	-44,237,057.31	
		Add :		
7,780,000.00		During the year	34,150,000.00	
<u>-2,267,650.80</u>		BALANCE	<u>-10,087,057.31</u>	
		B. Transaction in A/c No. 22		
-41,969,406.51		Amount transferred (Adm. Exp. Share)	-42,404,062.61	
<u>-44,237,057.31</u>		BALANCE (A+B)	<u>-52,491,119.92</u>	

2002-2003			2003-2004	
Rs.	P.		Rs.	P.
		<u>SCHEDULE No. VI</u>		
		<u>Cash Book Balance / Cash at Bank</u>		
46,116,623.76		1. Account No. 21	56,558,696.58	
220,446.10		2. Account No. 25	617,327.20	
-858,295.23		3. Account No. 22	1,149,297.09	
704,929.55		4. Account No. 24	511,429.38	
97,768,923.19		5. Balance with SBI, Mumbai	45,476,436.58	
143,952,627.37		BALANCE	104,313,186.83	
		<u>SCHEDULE No. VII</u>		
		<u>Remittances in Transit</u>		
128,124,741.79		1. From A/c No. 21 to 25	97,871,333.44	
532,224.15		2. From Bank to A/c No. 25	532,224.15	
22,101,070.49		3. From A/c No. 22 to 24	19,136,523.79	
150,758,036.43		BALANCE	117,540,081.38	
		<u>SCHEDULE No. VIII</u>		
		<u>Sundry Debits</u>		
33,617,157.31		1. Account No. 21	33,180,751.77	
26,544,780.50		2. Account No. 25	26,594,898.50	
9,856,346.88		3. Account No. 22	9,908,149.93	
27,844,368.74		4. Account No. 24	27,836,326.74	
97,862,653.43		BALANCE	97,520,126.94	

**AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
FOR THE YEAR 2003-04**



AUDIT REPORT - OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
<p>Introductory</p> <p>The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) came into existence in 1952 following the enactment of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Act was further amended in 1971, 1976 and 1995 to provide adequate and long-term protective benefits to the families of the employees in the event of their premature death. The Family Pension (FP) Scheme and the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme came into force with effect from 1.3.71 and 1.8.1976 respectively. The Family Pension Scheme 1971 ceased after 15.11.95 and the entire corpus of the Family Pension Scheme was merged with the Employees' Pension (EP) Scheme, 1995.</p>	No Comments, being factual
<p>Objectives</p> <p>(i) The broad objectives of EPFO are to extend social security benefits to the working class in the form of Provident Fund, Pension and Insurance benefits. The broad functions of the EPFO to fulfill these objectives are:</p> <p style="padding-left: 20px;">Enforcement of provisions of Employees' Provident Fund and (EPF) Miscellaneous Provisions Act, 1952.</p> <p style="padding-left: 20px;">Recovery and management of money held in trust, and</p> <p style="padding-left: 20px;">Providing satisfactory services to the members of the Schemes.</p>	No Comments, being factual
<p>(ii) The three schemes viz EPF Scheme, EP Scheme and EDLI Scheme are administered by the Central Board of Trustees, a tripartite body headed by the Union Labour Minister. It comprises representatives of Central/State Government, Employers and Employees.</p>	No Comments, being factual
<p>(iii) Under the EPF Scheme, employees are to contribute 10 or 12 per cent of their pay (based on class of establishment) matched by similar contribution from their employers. The money is deposited with the EPFO where it is invested as per pattern of investment prescribed by the Government. As on 31st March 2004, the amount of EPF invested is at Rs. 71712.00 crore.</p>	No Comments, being factual except that out of the contribution of the employer, 8.33% is diverted to Pension Fund while balance remains with the Provident Fund.
<p>(iv) EP Scheme, 1995 is financed through contribution from the employers at the rate of 8.33 per cent of the pay of employees and the Central Government also contributes 1.16 per cent of the pay of the employees. The Central Government share and interest on the investment in Public Account is reinvested in the Public Account. After providing for annual benefits, the surplus, if any, is invested as per the pattern of investment prescribed under Para 52 of EPF Scheme. The corpus of this Scheme as on 31st March 2004 stands at Rs. 23333.07 crore in Public Account and Rs. 29468.59 crore in securities.</p>	No Comments, being factual
<p>(v) The EDLI Scheme 1976 is financed by contribution from employers @ 0.5 per cent of their employees' pay. Under this Scheme, benefits are available to the family members of the subscribers who die in harness. The balance in this account invested as on 31st March, 2004 stands at Rs. 3061.87 crore in Public Account and Rs. 842.36 crore in securities.</p>	No Comments, being factual. Total administrative expenditure of the three schemes are met from administration account of EPF scheme in the first instance and is

<p>The administrative expenditure of EPF Scheme is met by levy of separate contributions on the employers @ 1.10 percent of wages from un-exempted establishment and @ 0.18 percent of wages as inspection charges from exempted establishment w.e.f. 1st August 1998.</p> <p>The administrative expenses of EDLI Scheme are met by contribution @ 0.01 per cent of wages of employees by the employers of unexempted establishments and @ 0.005 per cent of wages towards inspection charges from exempted establishments.</p> <p>The administrative expenses of Employees' Pension Scheme, 1995 are reimbursed in full by the Pension Fund of the Employees' Pension Scheme, 1995.</p> <p>The audit of the EPFO is conducted under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with provision contained in Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952.</p>	<p>appropriated at the ratio of 83:16:1 amongst the three schemes at the end of the financial year.</p>
<p>Comments on Accounts</p> <p>2. Balance Sheet</p> <p>2.1 Liabilities</p> <p>2.1.1. Understatement of Liabilities Rs. 2468.11</p> <p>Minus balances of Rs. 476.55 crore, Rs. 1923.05 crore and Rs. 68.51 crore have been depicted under the head "Investment Fluctuation Account" on the liability side of Balance Sheet of EPF Scheme, EP Scheme and EDLI Scheme respectively. Instead of exhibiting minus balances in liabilities side these balances should have been depicted on the assets side of the respective Balance Sheets. This resulted in understatement of liabilities by Rs. 2468.11 crore. Depiction of minus balance of Rs. 246.11 crore in the liability side of Balance Sheet, resulted in understatement both assets and liabilities. Thus, the Balance Sheet did not depict true and fair view of accounts.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that the treatment of minus balances was done as per the approved format of accounts. The reply is not tenable, as EPFO should switch over to the new/common format of accounts prescribed by the Government of India, Ministry of Finance for the central autonomous bodies, so as to bring about uniformity and transparency in the accounts.</p>	<p>a) In strict sense "Investment Fluctuation Account" is not a liability for EPFO, it is merely an adjustment account wherein premiums / discounts on the fresh investments is adjusted with a view to show the investment at Face Value in accordance with accounting policies being followed consistently. Nothing out of this account is payable to any party. Thus, liabilities are not understated.</p> <p>Further, the Organisation has already taken steps to modify the treatment /way of depiction of this account in line with the relevant Accounting Standard of ICAI on investment, and got the new policy of allowing for amortization procedure during the currency of the life of a security itself, approved by the CRT, EPF. The proposed procedure will be implemented after the approval of the C&AG.</p> <p>b) As per Sec. 5A(5) of EPF&MP Act, the format of accounts followed by EPFO has</p>

	<p>been prescribed by the Central Govt. in consultation with C&AG, and, as per the format, this account has to be shown on liability side only.</p> <p>Further, acceptance of the observation of the Audit will require prior approval of the Central Govt. and C&AG of India, as it will result in changes in the present format of final accounts.</p> <p>Considering above, it is submitted that there is no understatement of liability in this case.</p>
<p>2.1.2</p> <p>Minus balance under the head Group Insurance Scheme of Rs. 6.26 lakh and Rs. 1.77 lakh has been depicted on liability side of the Balance Sheet of Corporate Headquarters and Regional Office, West Bengal instead of showing this on Asset side of the Balance Sheet. This resulted in understatement of liability of the organisation by Rs. 8.03 lakh.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that appropriate measures to clear the minus balances will be taken during the financial year 2004-05.</p>	<p>a) Such negative balance may occur under this head as payment to LIC is made on the receipt of their demand note for keeping the policies of the employees alive whereas it takes sufficient time before the contribution recovered from their salaries reaches corporate office. Further, the amount of Rs.6.57 Lakh related to GIS receipts was wrongly credited to A/c No. 4 instead of A/c No. 4A during previous years thereby leaving a minus balance in the head. The rectification, which would be made in the financial year 2004-05, will clear the negative balance in the head.</p> <p>b) Since the amount of Rs. 1.77 lakh pertains to a regional unit, appropriate measures will be taken in the final accounts of that unit for the year 2004-05.</p>
<p>2.1.3 Unverified liabilities</p> <p>Rs. 1.01 crore has been shown under the head "Group Insurance Scheme (old)" on the liability side of the Balance Sheet of the Organisation. This scheme has been discontinued and the amount has been already paid to the entitled staff members by the Regional Offices and was to be reimbursed on by EPFO (Hqrs.).</p> <p>This was also pointed out in previous year's audit report, but no efforts were made by EPFO to resolve the issue.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that dues are to be reimbursed to ROs/SROs</p>	<p>Sum of Rs. 100.89 lakh is Organisation's liability towards final settlement under GIS (Old). In fact, the dues have already been paid to the entitled staff members by respective ROs/SROs. These amounts are to be reimbursed to the</p>

after receipt of debit notes from them. The reply of the organisation is not tenable as the Regional Offices have not shown Rs. 1.01 crore as recoverable from HQrs. This had resulted in depicting of unadjusted internal transactions in the Balance Sheet, which have to close to balance, at the end of the year.

ROs/SROs by Headquarters office after receipt of debit notes from them for which instructions have already been issued. Since the matter is old, the regional units will take some time in verifying the records of beneficiaries before issuing debit notes.

2.1.4 Interest Suspense Account Rs. 8,408.88 crores

The interest earned on Employees' Provident Fund balance and the penal damages on belated contribution received from the employers, during the year, are credited to Interest Suspense Account in proforma account. Thereafter, while closing Annual Accounts, the interest is credited to the subscribers' account and the Interest Suspense Account is debited by the same amount. As on 31.3.2004, there was a credit balance of Rs. 8408.88 crore in the Balance Sheet of Employees' Provident Fund Scheme. The year-wise position of interest suspense account for last 5 years from 1999-2000 onwards is given below.

(Rs. in lakh)

Year	Balance of the previous year	Interest earned during the year	Interest debited to suspense account	Closing Balance
1999-00	817,617	511,779	545,123	784,273
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223
2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949
2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312
2003-04	831,312	607,670	598,094	840,888

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. 8408.88 crore, Rs. 2332.18 crore pertains to interest earned up to 2002-03 and Rs. 6076.70 crore to interest earned during 2003-04, which was to be credited to members' accounts during next year. Reply is not tenable as similar discrepancy was also pointed out in the previous Audit Report, yet closing balance of the current year increased to Rs. 8408.88 crore as compared to the closing balance of Rs. 8313.12 crore of the previous year.

Out of Rs. 8,40,888 lakh, Rs. 2,33,218 lakh pertains to interest earned up to 2002-03 and Rs. 6,07,670 lakh to interest earned during 2003-04, which is to be credited to members' accounts during next year. One year's earnings always remain as balance in the Interest Suspense Account. The balance of Rs. 2,33,218 lakh represents the amount of interest to be credited in those members' accounts, which have not been compiled up to 2002-03.

2.1.5

Rs. 89.58 crore as Interest payable @ 9.5 percent on unclaimed deposits of Rs. 942.95 crore for the year 2003-04, was not shown separately under the head unclaimed deposit account on the liability side of Balance Sheet.

EPFO stated (December 2004) that as per approved format of accounts, there is no provision to show interest payable on Unclaimed Deposit Account separately. This deficiency was being taken care of in the retooled accounting procedure under

As per approved format of accounts, there is no provision to show interest payable on Unclaimed Deposit Accounts separately. This deficiency is, however, being taken care of in

<p>* BPR. Reply is not tenable as interest payable on unclaimed deposits must be shown separately under the head unclaimed deposit on the liability side of Balance Sheet in order to reflect the true and fair picture of accounts.</p>	<p>retooled accounting procedure under BPR.</p>
<p>2.1.6 Minus balance in Special Reserve Fund (SRF)</p> <p>As per Special Reserve Fund (SRF) register, a minus balance of Rs. 5.04 crore and Rs. 1.98 lakh has been shown under the head Special Reserve fund by the Regional Office, W. Bengal and Gujarat respectively. The reasons for minus balances were not intimated to audit. Thus, the figures of Special Reserve Fund register maintained by EPFO is discrepant with those relatable figures of HQrs.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that minus balances were due to non-recording of authorisation of fund to these units and incorrect inclusion of non-recoverable payments such as money order commission, DRF etc., in the register.</p>	<p>The SRF register simply displays utilisation of fund by a unit against sanction. It never signifies any kind of cash flow management. The minus balances of Rs. 503.85 lakh and Rs. 1.98 lakh pertaining to ROs West Bengal and Gujarat respectively were due to non-recording of authorization of fund to these units and incorrect inclusion of non-recoverable payments such as Money Order commission, DRF etc., in the Register. This discrepancy in depiction has virtually no impact on the working of the SRF.</p>
<p>2.1.7 Difference between Special Reserve Fund (SRF) Register and Annual Accounts figure</p> <p>As per Special Reserve Fund (SRF) Register, Rs. 0.23 crore has been shown as paid during the year 2003-04 whereas in the Consolidated Balance Sheet it was shown as Rs. 3.79 crore. The difference of Rs. 3.56 crore needs reconciliation. Thus, the balance of SRF shown in Balance Sheet of EPFO did not depict true and fair view of state of affairs.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that efforts were on to reconcile the figures shown in register with the actuals.</p>	<p>The SRF Register is maintained on the basis of monthly Returns received in Headquarters, which, sometimes, are not up-to-date whereas Balance Sheet is compiled on actual utilisation basis. The difference of Rs. 356.37 lakh is primarily due to this reason and the grounds mentioned in reply to the Para 2.1.6. Though this has hardly any impact on the working of the SRF yet efforts are on to reconcile the figures shown in register with the actuals.</p>
<p>2.2 Assets</p> <p>2.2.1 Understatement of Assets</p> <p>Minus balance of Rs. 5.25 crore was shown under the head "Amount due from EPF Admn. Account" on its Assets side of the Balance Sheet of EDLI Scheme. This minus balance should have been depicted on the liability side. This has resulted in understatement of assets by Rs. 5.25 crore. Depiction of minus balance of Rs. 5.25 crore under the head "Amount due from EPF Admn. Account" in the assets side resulted in understatement both assets and liability.</p>	<p>a) As per the approved format of accounts, this account has to be shown on assets side only. Further, acceptance of the observation of the audit will require prior approval of the</p>

<p>EPFO stated (December 2004) that as per the approved format of accounts, this account had to be shown on asset side and acceptance of the observation would require prior approval of Government of India and Comptroller and Auditor General of India. The reply is not tenable as the entry does not relate to format of accounts but with the basic principle of accounting according to which all minus balances under assets are to be considered in the liability side only</p>	<p>Central Govt. and C&AG of India as it may result in fundamental changes in the present format of final accounts.</p> <p>hi) During the course of audit also, a request was made to audit to give direction for its correct depiction but no reply has been received till date.</p>
<p>2.2.2 Overstatement of Assets</p> <p>Rs. 63.36 lakh was paid during the year 2002-03 to NBCC Ltd as advance for construction of additional staff quarters but the amount was booked under the head Land and Building (assets acquired) instead of Land & Building (Advances) for staff quarters in the Balance Sheet of Corporate headquarters. This resulted in overstatement of Land and Building by Rs. 63.36 lakh in the Balance Sheet of Corporate Headquarters and understatement of Land and Building (Advances).</p> <p>EPFO stated (December 2004) that the required rectification would be made in the Balance Sheet of the unit for the year 2004-05.</p>	<p>Required rectification will be made in the Balance Sheet of the unit for the year 2004-05.</p>
<p>2.2.3 Unverified Assets</p> <p>(i) Rs. 204.85 crore on account of assets acquired and Rs. 112.26 crore on account of Advances paid were shown under the head "Land and Building" of EPF Scheme Balance Sheet. Entries of assets acquired during the year were not found recorded in the register of Assets. Hence, correctness of the figures shown in the Balance Sheet could not be verified.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that the statement showing the details of additions during the year was also sent by the concerned regions, which was not received from all the regions till the completion of audit. Assets Register in respect of six regions had been reconciled till date. Reply is not tenable as the value of assets shown in Balance Sheet must be tallied with the value of assets shown in Assets Register.</p>	<p>Procedure relating to maintenance of records for Fixed Assets acquired and advances paid is decentralized and the concerned regions only maintain all the related documents and registers. The figures with regard to acquisition of assets and advances paid in respect of Regional Offices are shown in their balance sheets and are audited by the A.G.s of their states. Thereafter, these are sent to Corporate Headquarters for verification and consolidation in the Consolidated Balance Sheet of EPFO. However, along with these figures, a statement showing the details of additions during the year is also sent by the concerned regions, which was not received from all the regions till the completion of audit. Assets Register in respect of six regions has been reconciled till date.</p>

(ii) Investment of Rs. 23353.07 crore of EP Scheme 1995 and Rs. 3061.87 crore of EDLI Scheme 1976 were shown under the head "Deposit in Public Account" on the Assets side of the respective Balance Sheets which were required to be reconciled with the PAO, Ministry of Labour. In the absence of reconciliation, correctness of these assets could not be verified.

EPFO stated (December 2004) that the Government of India credited interest in Public Account every year on the balance shown by EPFO in its Balance Sheet and no further reconciliation with the PAO was required. The reply is not tenable.

The Govt. of India credits interest in Public Account every year on the balance shown by EPFO in its Balance Sheet. Thus, the balance shown in Public Account as on 31.3.2004 is confirmed by the Central Government and requires no further reconciliation. This can be verified from the fact that EPFO in its letter No. Budget 7(2)96/PS/1336 dated 26th September 2003 claimed a sum of Rs. 1815.43 crores as interest on Pension Fund kept in Public Account for the year 2003-04 on the basis of the Opening Balance of the Public Account shown in the Balance Sheet of the Organisation as on 1.4.2003, which the Ministry of Labour has accordingly sanctioned & conveyed through various communications.

2.2.4 Remittance in Transit

Amount transferred from one account to another account or amount wrongly credited by the bank in different accounts at the close of the financial year, is credited to the concerned accounts in the next financial year. Till it is not transferred/ credited in the account to which it belongs, it is classified under the head "Remittances in Transit".

Against Remittance in Transit, in Balance Sheet of the EPF Scheme, EP Scheme and EDLI Scheme, amounts shown were Rs. 57.96 crore, Rs. 23.19 crore and Rs. 11.75 crore respectively, year wise break-up of which is given below: -

The implementation of the provisions of EPF & MP Act, 1952 and three schemes framed there under is done through a network of 106 field offices called ROs, SROs and SAOs. The nature of the business activities of the Organisation requires huge financial transactions. In such a scenario, remittances in transit towards the close of the year are unavoidable. The amount in transit is inherent in the system as the amount transferred during the last week of March is credited to the account in the next financial year. Therefore, there cannot be a Nil balance in the Account. Some times credit is given in the wrong account and that amount is also shown as amount in transit. The amount in transit is constantly monitored and the details are

a) Employees' Provident Fund Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Account No. 4	Account No. 5	Account No. 8	Account No. 4A	EPF Investment	Total
Upto 1999-2000	536.22	1,997.08	112.75	-	448.28	3,094.33
2000-01	392.21	5.00	30.49	-	-	427.70
2001-02	104.03	-	0.06	-	-	104.09
2002-03	75.16	-	11.82	-	-	86.98
2003-04	313.25	1685.00	84.80	0.20	-	2,083.25
Total	1,420.87	3,687.08	239.92	0.20	448.28	5,796.35

b) Employees' Pension Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Remittances in transit
Upto 1999-2000	1,804.46
2000-01	0.00
2001-02	0.00
2002-03	0.00
2003-04	515.00
Total	2,319.46

c) Employees' Deposit Linked Insurance Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Account No. 24	Account No. 25	R.B.I.	Total
Upto 1999-2000	176.86	791.89	5.32	974.07
2000-01	5.12	42.39	-	47.51
2001-02	4.13	21.00	-	25.13
2002-03	-0.08	12.00	-	11.92
2003-04	5.34	111.43	-	116.77
Total	191.37	978.71	5.32	1,175.40

Due to non-clearance of the above transitory head, actual balances of accounts mentioned above could not be checked.

EPFO stated (December 2004) that remittances in transit towards the close of the year were unavoidable and these amounts were constantly monitored. Reply is not tenable as the amount under the head 'remittance in transit' includes old remittances prior to the year 1999-2000 as well. This resulted in incorrect depiction of cash and bank balances.

furnished to the Region for taking up the matter with the Bank for credit of the amount. As a result of constant monitoring, amounts in transit in respect of EPF, EPS & EDLI schemes for the year preceding to 2003-04 have reduced by 26.03, 44.40 & 29.78 % respectively as compared to previous year (the amounts pertaining to year 2003-04 are subject to clearance during current year. However, amounts of Rs.1745.92 lakh, Rs.515.00 lakh and Rs.127.60 lakh have been cleared in respect of EPF, EPS and EDLI Schemes respectively

2.2.5 Erroneous debits/ credits

Amount belonging to one account may erroneously be credited/debited to another account by the Bank. In the receipt and payment accounts of the following accounts, erroneous debits/excess credits/missing credits were shown

(Rs. in lakh)

Account No.	Erroneous credit by Bank	Erroneous Debit by Bank
5	2488.90	543.06
8	264.54	198.61
9	10.03	-
11	2090.62	1566.60
24	665.56	278.36
25	860.70	265.95
10	2598.01	10655.59
21	307.87	331.81
22	139.56	99.08
Total	9425.79	13939.06

The reconciliation of these figures is a continuous process and the efforts are accordingly underway to reconcile the figures with the Bank. As a result, the Erroneous Debit pertaining to accounts maintained by Head-quarters Office has come down by 28.23% whereas the Erroneous Credit by 7.97%. The remaining accounts are maintained by Regional Offices and the item-wise details of erroneous debits/credits in these accounts are available with field offices of the Organisation only. They have been directed to

In the absence of year-wise details and when adjustment of erroneous debits/credits, missing credits, actual balances in the reserve accounts could not be ascertained.

This was also pointed out in the previous year's audit report but no efforts were made to clear the erroneous credits/debits by EPFO. In view of the above, the correctness of the bank balances appeared in the annual accounts could not be checked for want of reconciliation. The accounting of time barred cheques which have not been cancelled, etc. were not ascertained.

EPFO stated (December 2004) that reconciliation of these figures was a continuous process. It also stated that erroneous debits had been reduced by Rs. 1.72 crore and erroneous credits by Rs. 1.72 crore till date. Reply is not receivable as the clearances are matters of correspondence. Large amounts that still require to be reconciled are indicated in the table below.

clear them on priority basis. Progress in this respect is being monitored by the Headquarters. (However, as reported by the Regional Offices, Erroneous Debits have been reduced by Rs. 171.91 lakh and Erroneous Credits by Rs. 552.79 Lakh till date.

2.2.6 Physical verification of assets

As per rule 119E of the 1980 Act, physical verification of assets should be conducted once in a year. Physical verification for the year 2003-04 was not conducted. The value of assets in the Balance Sheet of the Regions is not verified in audit.

EPFO stated (December 2004) that physical verification of assets was under progress.

Physical verification of assets in some of the Regions could not be completed before 31.3.2004 and the same is under progress.

2.2.7 Overpayment / Irregular Payment

A. Overpayments

Overpayments made to the members of the Employees' Provident Fund are exhibited under this heading in the Balance Sheet of the Regions. Annual figures of all the Regions are shown in the following table. Sheet of the EPFO for last five years as below:-

(Rs. in lakh)

	Opening Balance	Amount paid	Less Amount recovered	Closing Balance
1999-2000	14.58	2.71	2.70	11.79
2000-2001	16.79	2.29	7.07	11.92
2001-2002	19.92	4.10	19.03	36.04
2002-2003	36.05	14.94	6.95	45.04
2003-2004	45.04	21.23	9.31	57.01

This was also pointed out in the previous year's audit report but no efforts were made by the EPFO to recover the overpaid amount. Depiction of overpayments as "Assets" was irregular. This has to be considered in the Income and Expenditure Account appropriately. All the overpayments shown in the Balance Sheet are not fully recoverable. Hence, these payments could not be treated as assets. This had resulted in overstatement of assets and understatement income/expenditure for the year which could not precisely stated.

EPFO stated (July 2004) that the Regions had been directed to expedite the recovery process. EPFO further stated (December 2004) that Rs. 9.31 lakh had been recovered out of Rs. 21.23 lakh overpaid during 2003-04.

Rs. 21.23 lakh were overpaid during 2003-04 while Rs. 9.31 lakh were recovered during same period. There is an internal mechanism for detecting over/irregular payments in the field units. After detection, the loss is made good by taking proportionate punitive actions against the responsible officials by the concerned unit. These payments are properly accounted for, and monitored through Over Payment Register and Over Payment Committee. Most of the amount under this head relates to the period prior to 1999-2000. The Regional Offices have filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the organisation as well as some of the outsiders involved in these payments for recovery of this

<p>3. Income and Expenditure Account</p> <p>3.1 Expenditure</p> <p>3.1.1 Rs. 9.78 crore spent on distribution of gold coins as incentive to staff during 2003-04 on the eve of Golden Jubilee Year of EPFO was wrongly booked in Income and Expenditure account of Corporate Headquarters under the head 'Publicity' instead of incentive to employees of EPFO.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that there was no standard account head as "Incentive to Employees" in expenditure profile of the organisation whereas nuances of such activities were conventionally being covered under the head "Publicity" in EPFO. Reply is not tenable as incentive paid to staff should be treated in accounts as "Publicity".</p>	<p>There is no standard account head as "Incentive to employees" in expenditure profile of the organisation whereas nuances of such activities are conventionally being covered under the head "Publicity" in EPFO.</p>																																																		
<p>3.1.2</p> <p>Rs. 80.44 lakh has been shown in the Income and Expenditure Account of Corporate Headquarters under the head 'annual maintenance' of computers whereas as per records of IS Division it has been intimated as Rs. 1.75 lakh only. The difference of Rs. 78.69 lakh needs reconciliation.</p> <p>EPFO stated (December 2004) that the process of rectification of misclassification of heads was underway.</p>	<p>The amount of Rs. 80.44 lakh represents gross amount including the cost of hardware procurement etc. This does not pertain to annual maintenance only. The process of rectification of misclassification of heads is already under way.</p>																																																		
<p>3.1.3</p> <p>In Income and Expenditure Account, there were differences in figures of amount transferred from Account No. 4 to Account No. 2 in respect of the following Regional Offices, which need reconciliation.</p> <p style="text-align: right;">(Rs. in Lakh)</p> <table border="1" data-bbox="155 1563 1036 1951"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Name of the Region</th> <th>Amount Transferred by HQ from A/c No. 4</th> <th>Amount Shown by ROs in A/c 2</th> <th>Difference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Head Office</td> <td>4422.10</td> <td>4443.39</td> <td>-21.29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jharkhand</td> <td>6.00</td> <td>8.00</td> <td>-5.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Maharashtra</td> <td>260.90</td> <td>226.54</td> <td>34.36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Madhya Pradesh</td> <td>270.34</td> <td>230.04</td> <td>40.30</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Punjab</td> <td>164.04</td> <td>140.60</td> <td>23.44</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tamil Nadu</td> <td>268.89</td> <td>275.25</td> <td>-11.64</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Uttar Pradesh</td> <td>954.50</td> <td>921.31</td> <td>33.19</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Uttanchal</td> <td>17.48</td> <td>11.49</td> <td>5.99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>6382.25</td> <td>6248.62</td> <td>133.62</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Name of the Region	Amount Transferred by HQ from A/c No. 4	Amount Shown by ROs in A/c 2	Difference	1	Head Office	4422.10	4443.39	-21.29	2	Jharkhand	6.00	8.00	-5.99	3	Maharashtra	260.90	226.54	34.36	4	Madhya Pradesh	270.34	230.04	40.30	5	Punjab	164.04	140.60	23.44	6	Tamil Nadu	268.89	275.25	-11.64	7	Uttar Pradesh	954.50	921.31	33.19	8	Uttanchal	17.48	11.49	5.99		Total	6382.25	6248.62	133.62	<p>In essence, this difference denotes the amount in transit in Account No. 2 maintained by Regional Offices. While reconciling the Balance Sheets of these units at the time of consolidation, considering the nature of their classification, these transfers are included in the Income and Expenditure Account of the Organisation and thus, their treatment in Account No. 4 maintained by the Banking section of the Headquarters is accordingly done away with. This depiction is, however, proposed to undergo a change in retooled accounting procedure under BPR.</p>
S. No.	Name of the Region	Amount Transferred by HQ from A/c No. 4	Amount Shown by ROs in A/c 2	Difference																																															
1	Head Office	4422.10	4443.39	-21.29																																															
2	Jharkhand	6.00	8.00	-5.99																																															
3	Maharashtra	260.90	226.54	34.36																																															
4	Madhya Pradesh	270.34	230.04	40.30																																															
5	Punjab	164.04	140.60	23.44																																															
6	Tamil Nadu	268.89	275.25	-11.64																																															
7	Uttar Pradesh	954.50	921.31	33.19																																															
8	Uttanchal	17.48	11.49	5.99																																															
	Total	6382.25	6248.62	133.62																																															

4. Receipts and Payments Account

4.1 Receipt

4.1.1 Non-depiction of transaction in the Receipt and Payment Account

(a) The EPFO has shown the following amount as receipt in the Receipt and Payment Account (contribution Account) Employees Pension Scheme-1995.

		(Rs. in Crore)
(i)	Areas of contribution of Government upto the year 2002-03	228.04
(ii)	Contribution of Government 2003-04	221.95
(iii)	Interest on the balance in the Public Account	1815.45

The above amount has been deposited in the Public Account by the Government of India and taken as Receipt in the Receipt and Payment Account. Payments made out of the above direct contributions, in the form of investments, are not routed through Receipt and Payment Account. The balancing figure in the Receipt and Payment Account is taken as closing balance. Therefore, the figures depicted in the Balance Sheet are not relateable to the transactions reflected in the Receipt and Payment Account.

(b) Similarly an amount of Rs. 239.87 crore received from Government on account of Interest on Investments in Public Accounts of Employees Deposit linked Insurance Scheme-1996 has been shown as "Receipt" in the Receipt and Payment Account. This amount has been deposited directly in the Public Account by the Government of India and taken as receipt in the Receipt and Payment Account. Payments made out of the above direct deposit in the form of investments were not routed through Receipt and Payment Account. The balancing figure in the Receipt and Payment Account is taken a closing balance. Therefore, the figures depicted in the Balance Sheet are not relateable to the transactions reflected in Receipt and Payment Account.

(a) (i) This observation was not included in the Draft Audit Report sent to EPFO for comments.

(ii) The Receipt & Payment Account (Contribution A/c) in EPS, 95 shows the various kinds of inflows and outflows in the form of pension contributions which has an effect of increase/decrease in the corpus (Pension Fund) of EPS, 95. Govt. share of pension contribution is shown as 'Receipt' in this A/c because it increases the corpus of EPS, 95 but direct investment of the same in public account does not affect the corpus of EPS, 95 in any manner, therefore it cannot be routed through this A/c. The closing balance appearing in Receipt & Payment (Contribution) A/c represents the total corpus available in EPS, 95 as at 31st March 2004 and is represented by various kinds of investments whether in securities or in public account, made out of it. Similar treatment is also done for investment of cash contribution received from employers in the form of securities.

Considering above, correlating the investment in Public A/c as shown in the Balance Sheet with Receipt & Payment A/c (Contribution A/c) is not correct.

(b) Same logic / explanation as given in above point relating to EPS, 95 is applicable in the case of EDLI also.

<p>5. General</p> <p>5.1 Formats of Accounts</p> <p>The accounts of the EPFO are being maintained in the format of accounts as prescribed in the Gazette Notification dated 21.12.1992. In 1995, Employees' Family Pension Scheme was replaced by the Employees' Pension Scheme 1995, accounts of which are being maintained in the format prescribed for Employees' Family Pension Scheme. The requirement of the consultation with CAG regarding maintenance of proper accounts in prescribed form by Central Government has also been laid down in the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (Act 19 of 1952) vide Section 5A Central Board (5) inserted by Act 33 of 1988. The concurrence of the C&AG of India for the new format is yet to be obtained. This was also pointed out in the previous year's audit report but no efforts were made by EPFO to obtain such concurrence.</p> <p>EPFO stated (December 2003) that the matter relating to the approval of format of accounts was being dealt directly by the Ministry of Labour with the C&AG of India and action was being taken to get format of accounts approved by the C&AG.</p>	<p>No Comments, being factual except that at the instance of Ministry of Labour, Govt. of India vide letter No G-20017/3/97-SS.II dated 21.8.1997, certain changes were effected in the format of account prescribed for EPS, 1971 and the amended format was sent to ministry, vide this office letter No. BSC-625/97 (359) dated 01.10.1997 for forwarding it to C&AG for approving it as the format of account for EPS, 1995 in which current year's account has been prepared. After that several reminders have been sent to Ministry of Labour in follow up of the same.</p>
<p>5.2 Non-preparation of annual accounts in the revised format of accounts on accrual basis</p> <p>The Government of India, based on the recommendation of 'Committee on papers laid on the table of Parliament', has introduced a common format of accounts for the central autonomous bodies to bring about uniformity and transparency in the accounts. This format of accounts, based on the accrual system of accounting was required to be implemented by all the central autonomous bodies from the accounting year 2001-02. It has, however, been observed that the EPFO had not prepared its annual accounts for the year 2003-04 in the new format of accounts on accrual basis. The Income and Expenditure Account and Balance Sheet, therefore, did not make a meaningful depiction of the true and fair view of financial position of EPFO. EPFO is, therefore, advised to implement the common format of accounts and compile its accounts henceforth in the revised format on accrual basis.</p>	<p>(i) This observation was not included in the Draft Audit Report sent to EPFO for comments.</p> <p>(ii) The final A/c of EPFO are prepared in accordance with the format notified by the Central Govt. after due consultation with C&AG of India. Any change in the format needs prior notification by the Central Govt. and approval of C&AG thereof. Further, the common format of A/cs as recommended for Central Autonomous bodies has been finalised designed for those Organisations which are mainly involved in commercial activities whereas considering the nature of business/role of EPFO (as social security provider), this format is not at all relevant/adoptable.</p> <p>However, overall system of accounting of EPFO is proposed to undergo a change from Cash basis to accrual basis, as advised in the observation, after implementation of BPR.</p>

5.3 Bank Reconciliation

Scrutiny of Bank Reconciliation Statements of Corporate Headquarters revealed the following shortcomings: -

(a) Bank had wrongly debited an amount of Rs. 3.40 lakh. The amounts, which pertain to September 1993, has not yet been reconciled and verified.

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. 3.40 lakh being wrongly debited by the bank, Rs. 2.871 has been reconciled and efforts were on for reconciling the balance amount

(b) An amount of Rs. 103.56 lakh wrongly credited by bank, pertaining to the period 1993-94 to 2002-03 have not been adjusted so far

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. 1.04 crore wrongly credited by the bank, Rs. 17.18 lakh have been reconciled and efforts were on to reconcile the balance amount.

(a) Out of Rs. 3.40 lakh being wrongly debited by the bank, Rs. 2.871 has been reconciled and efforts are on for the balance amount.

(b) Out of Rs. 103.56 lakh being wrongly credited by the bank, the amounts of Rs. 17.18 lakh have been reconciled and efforts are on for the balance amount.

5.4 Non production of records relating to investments

Scrutiny of records revealed that the EPFO has invested the following amount:-

		(Rs. in crore)
(a)	Employees' Provident Fund	71712.00
(b)	Staff Provident Fund	260.17
(c)	Pension-cum-Gratuity Fund	314.45
(d)	Administration Fund	1562.21
(e)	Investment in Securities	29408.59
(f)	Deposit in Public Account	2333.07
(g)	Investment in Securities	842.35
(h)	Deposit in Public Account	3061.87
Total		130494.71

The correctness of the above investments could not be verified in audit as the organisation did not made available the correspondence files and other records relating to investments to audit for verification.

EPFO stated (July 2004) that EPFO did not make any intervention in the day-to-day decision of SBI for professional management of portfolio of CBT, EPF. Purchase records are kept by SBI-Portfolio manager.

The investments are accounted for the organisation at face value of sale/purchase and not at their realisable value. No disclose to the effect is made in the accounts.

(i) This observation was not included in the Draft Audit Report sent to UPFO for comments.

(ii) Audit party asked for Investment records i.e Investment Registers/ Ledgers/ Broad Sheets related to all A/cs (EPF, Pension Fund, EDLI, SPF and Pension & Gratuity Funds) vide Memo No. 1 & 5 dated 8/7/04. Cash Book, Ledgers & Investment Registers were produced to audit party vide U.O. No. Invest./1(15)/Audit Reply dated 15/7/04.

To substantiate the total investment of CBT, EPF documentary evidence in the form of copy of certificate of investment holdings as on 31.3.2004 issued by State Bank of India, Securities Service Branch - Portfolio Manager of EPFO, was also given to the audit party.

6. Effect of audit comments on Balance Sheet & Receipt & Payment Account

The net impact of the comments given in the preceding paras is that as on 31.3.2004 assets were understated by Rs. 4.62 crore, liabilities were understated by Rs. 2468.19 crore and both Income and Expenditure were understated by Rs. 3.29 crore.

Appropriate comments have already been given against relevant paras.

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2004 and the Balance Sheet as on 31 March 2004 of the Employees' Provident Fund Organisation. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report which, inter alia, contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years: -

- ⇒ Rs. 1.01 crore has been shown under head "Group Insurance Scheme (old)" on liability side of Balance Sheet, however, this scheme has been discontinued and amount has already been paid to entitled staff member (Para 2.1.3);
- ⇒ Credit balance of Rs. 8408.88 crore in Interest Suspense Account to be credited/debited to the accounts of subscribers, includes Rs. 2352.18 crore upto 2002-03, which remained to be cleared (Para 2.1.4);
- ⇒ An advance of Rs. 63.56 lakh paid during 2002-03 to NBCC Ltd. for construction of additional staff quarters was booked under the head 'Land and Building' instead of under the head 'Advance for Land and Building' (Para 2.2.2);
- ⇒ Correctness of the figures of 'Assets Acquired' and 'Advances paid' could not be verified due to non-recording of assets acquired in Asset Register (Para 2.2.3(i));
- ⇒ Verification of figures of Investments under EPF Scheme and EDLI Scheme could not be done, as reconciliation of figures shown in the Balance Sheet and figures booked by the PAO, Ministry of Labour was not conducted (Para 2.2.3(ii));
- ⇒ Remittances in Transit at the close of financial year are adjusted in the next financial year. However, Rs. 92.90 crore are outstanding under this head in the different accounts for periods prior to 1997-98 (Para 2.2.4);
- ⇒ There were erroneous debits amounting to Rs. 94.26 crore and erroneous credits amounting to Rs. 139.39 crore which could not be verified in audit, as year-wise details were not made available (Para 2.2.5);
- ⇒ Rs. 9.78 crore spent on distribution of gold coins as incentive to staff on the eve of Golden Jubilee Year of EPFO was wrongly booked in Income and Expenditure account of Corporate Headquarters under the head 'Publicity'. (Para 3.1.1);
- ⇒ Investment amounting to Rs. 130494.71 crore could not be verified as the relevant records were not made available to audit. (Para 5.4).

I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organisation.

Place : New Delhi
Date : 01-04-2005

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenue

EPF
India

वर्ष 2003-2004 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केन्द्रीय कार्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

नामों

पिछला वर्ष (1)	क्र. सं. (2)	व्यय (3)	अनु. सं. (4)	राशि (रुपये) (5)
1,593,502,670.88	1.	अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन		1,684,114,130.25
264,246,685.09	2.	भत्ता और मानदेय		285,886,662.36
40,697,527.99	3.	यात्रा भत्ता व अवकाश यात्रा खियायत		49,742,888.99
457,769,380.56	4.	पेंशन/पेंशुन/मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपकरण		489,823,756.03
0.00	5.	(क) स्टाफ भविष्य निधि (बोर्ड का भाग)		0.00
597,620.75		(ख) स्टाफ भविष्य निधि लान		1,052,868.28
731,050,620.26	6.	(क) अन्य प्रकार आवृत्ति/अनावृत्ति		916,031,678.52
35,872,254.62		(ख) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टरों का रख रखाव		33,226,840.62
7,720,082.24	7.	(क) अनुदान		13,384,371.67
0.00		(ख) सामूहिक बीमा योजना बचत राशि वापसी		0.00
3,131,456,842.39		कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया कुल व्यय		3,473,263,196.72
	8.	<u>निम्नलिखित के प्रशासन पर व्यय :</u>		
603,654,331.05		(क) कर्मचारी पेंशन योजना		669,544,712.65
37,728,395.69		(ख) कर्मि स बीमा योजना		41,846,544.55
0.00		(ग) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य निक्षेप योजना		0.00
2,305,082,674.89	9.	व्यय से आय की अधिकता		3,900,388,353.81
6,077,922,244.02		जोड़		8,085,042,807.73

आय और व्यय लेखा
निधि योजना, 1952)

EPF
India

पिछला वर्ष	क्र. सं.	आय	अनु. सं.	जमा
				राशि (रुपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5,317,341,211.95	1.	प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार और शास्तिक नुकसानी से प्राप्त आय	(1)	5,860,307,107.59
701,410,075.46	2.	अधिसंघ प्रशासन निधि के निवेश पर अर्जित व्याज		757,005,655.18
29,579,924.45	3.	पेंशन-निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय	(2)	1,427,252,476.95
29,591,032.16	4.	द्विविध प्राप्त आय		40,477,568.01
0.00	5.	आय से व्यय की अधिकता		0.00
6,077,922,244.02		जोड़		8,085,042,807.73

पिछला वर्ष	क्र.सं.	देयताएं	अनु.सं.	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
558,161,488,446.16	1	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	3	618,674,825,638.25
6,345,667,218.85	2	अदायी निक्षेप खाता	4	9,429,511,660.93
7,987,896,610.71	3	विशेष आरक्षित निधि	5	8,746,253,168.72
	4	<u>ब्याज उचित खाता</u>		
23,601,089,984.60	(क)	31.3.2004 तक सदस्यों के खातों में जमा की जाने वाली राशि	6	23,321,844,776.42
59,530,113,549.64	(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त और अगत रूप सदस्यों के खातों में जमा की जाने वाली राशि		60,766,977,752.78
	5	<u>स्टाफ भविष्य निधि खाता</u>		
2,060,480,480.36	(क)	स्टाफ भविष्य निधि खाता	7	2,282,393,062.62
131,819,546.96	(ख)	स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता	8	199,134,160.92
2,611,369,926.20	6	पेशन तथा उपदान ब्याज खाता (स्टाफ)	9	3,160,796,752.71
-1,486,326,262.66	7	निवेश अस्थिर खाता	10	-4,765,454,294.31
1,052,896.46	8.	प्रतिभूति निक्षेप राशि		8,261,441.46
658,944,652,397.28		जोड़		721,824,544,120.51

तक का तुलन पत्र
निधि योजना, 1952)

EPF
India

पिछला वर्ष	क्र. सं.	परिसम्पत्तियां	अनु. सं.	राशि (रुपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	<u>निवेश खाता :</u>		
653,471,615,479.49		(क) कर्मचारी भविष्य निधि	15	717,120,079,991.49
2,253,786,757.58		(ख) कर्मचारी भविष्य निधि	16	2,601,751,062.62
2,576,005,807.58		(ग) विश्व बैंक उद्योग निधि	17	3,144,537,056.31
11,869,266,483.90		(घ) प्रशासन निधि	18	15,622,073,419.58
	2.	<u>मुक्ति और भवत</u>		
2,079,419,514.61		(क) अधिभुक्त परिसम्पत्ति		2,048,469,005.66
846,034,133.17		(ख) अन्तः प्रेषण वगैरे अन्तिम		1,122,552,096.77
516,788,512.00	3.	संयुक्त राज्य अन्तिम राशि	19	509,339,083.48
521,916,639.93	4.	विश्व बैंक अन्तिम राशि (संयुक्त राज्य)		559,784,545.93
982,876.20	5.	सुरक्षित निधि (प्राथमिक) की अन्तिम राशि		2,518,376.20
501,990,206.50	6.	अभिवृद्धि में मंडी राशि	20	579,635,500.53
37,849.80	7.	नकद		48,051.50
82,977,411.17	8.	रॉकड वही शेष/वैक में नकद	21	-1,297,678,940.17
895,363,683.98	9.	विविध नाम	22	906,843,944.33
675,616,179,355.91		जोड़		742,919,953,194.23

2002-2003	
रुपये	पैसे
4,820,049,239.50	
456,378,659.56	
21,888,464.87	
19,024,848.02	
5,317,341,211.95	
	0.00
29,579,924.45	
29,579,924.45	
	0.00
7,780,000.00	
	0.00
7,780,000.00	
	0.00
-21,799,924.45	
-21,799,924.45	
29,579,924.45	

अनुसूची संख्या-1

आय के स्रोतों

1. प्रशासन प्रभार
2. निरीक्षण प्रभार
3. शारीरिक नुकसानी
4. TQ ब्याज जोड़

अनुसूची संख्या 2

पेंशन निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय

1. कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासन के लिए पेंशन निधि से प्राप्त राशि
2. अन्य खातों से जोड़

अन्य खातों से प्राप्तियों का ब्यौरा

1. कर्मचारी निवेश सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन खाते से
2. अन्य खातों से जोड़

घटायें:

1. अन्य खातों में अन्तर्गत की गई राशि
2. क्षेत्रीय कार्यालय के खाते और केन्द्रीय कार्यालय के खाते को अनुसार खाता सं 2 से 4 अथवा इनके विपरीत किया गया अन्तरण

जोड़

इस

2003-2004

रुपये	पैसे
5,367,011,496.81	
427,563,603.08	
33,139,037.18	
32,592,970.52	
5,860,307,107.59	

1,406,730,716.95

20,521,760.00

1,427,252,476.95

34,150,000.00

0.00

34,150,000.00

0.00

13,628,240.00

13,628,240.00

20,521,760.00

2002-2003		अनुसूची संख्या-3	2003-2004	
रुपये	पैसे	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा	रुपये	पैसे
507,158,609,842.01		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़ें:	558,161,488,446.16	
75,287,667,502.60		1. वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी राशि शामिल है)	82,434,065,354.12	
830,832,119.92		2. अंतरित प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त अंशदान (मुख्य कार्यालय के विपरीत)	585,076,279.00	
54,408,315,033.22		3. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	58,545,476,368.30	
1,541,532,303.23		4. अन्य प्राप्तियां	2,395,113,703.77	
639,226,956,800.98		जोड़	702,121,220,151.35	
		घटायें:		
55,062,804,775.60		1. निर्गामी सदस्यों को वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के रूप में की गई अदायगी	59,071,501,203.94	
648,611,318.45		2. वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	228,549,227.50	
20,050,471,111.60		3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	16,608,604,892.80	
0.00		4. वर्ष के दौरान जब्त किया गया नियोक्ता वगैरह	0.00	
2,686,257,794.64		5. अदावीं निक्षेप खाता	3,646,969,072.58	
2,575,633,154.53		6. विविध अदायगी	3,889,268,016.28	
41,690,200.00		7. छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापस अन्तरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि	1,502,100.00	
81,065,468,354.82		जोड़	83,446,394,513.10	
558,161,488,446.16		शेष	618,674,825,638.25	

EPF
India

2002-2003

रुपये पैसे

3,819,131,961.71

2,686,257,794.64

6,505,389,756.35

159,722,537.50

6,345,667,218.85

अनुसूची संख्या-4

अदावी निक्षेप खाता

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

वर्ष के दौरान अन्तर्गत की गई राशि

जोड़

घटायें:

वर्ष के दौरान अदा की गई राशि

शेष

2003-2004

रुपये पैसे

6,345,667,218.85

3,646,969,072.58

9,992,636,291.43

563,124,630.50

9,429,511,660.93

अनुसूची संख्या-5
विशेष आरक्षित निधि

7,295,124,858.18	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	7,987,896,610.71
	जोड़ें:	
1,272.00	1. वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त राशि	0.00
693,036,861.53	2. विशेष आरक्षित खात पर व्याज	758,850,178.02
<u>7,988,162,991.71</u>	जोड़	<u>8,746,746,788.72</u>
	घटायें:	
150,071.00	1. मृत्यु शहत के रूप में अदा की गई राशि	-52,771.00
116,310.00	2. विशेष आरक्षित निधि लेखों से अदा की गई राशि	546,391.00
<u>266,381.00</u>	जोड़	<u>493,620.00</u>
<u>7,987,896,610.71</u>	शेष	<u>8,746,253,168.72</u>



2002-2003	
रुपये	पैसे
79,294,885,594.75	
54,408,315,033.22	
	0.00
480,977,387.74	
693,036,861.53	
111,366,327.66	
<hr/>	
55,693,795,610.15	
<hr/>	
23,601,089,984.60	
<hr/>	
59,077,461,785.09	
220,638.13	
69,942,728.31	
2,709,257.11	
11,490,622.54	
368,288,518.46	
<hr/>	
59,530,113,549.64	
<hr/>	
83,131,203,534.24	

अनुसूची संख्या-6	2003-2004	
ब्याज उचित खाता	रुपये	पैसे
पिछले तुलनात्मक अनुगत शेष घटाई:	83,131,203,534.24	
1. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	58,545,476,368.30	
2. छूट प्राप्त सहायता का बाविल की गई तद्वि पर कटौत किया गया ब्याज		0.00
3. विधानसभा में जमा किया गया ब्याज	505,052,211.50	
4. वि.सू.सि. खाता में जमा का समायोजन	758,850,178.02	
5. अस्थिर खाता पर विद्यमान ब्याज का समायोजन		0.00
<hr/>		
जोड़	59,809,358,757.82	
<hr/>		
31.3.2004 का शेष पिछले सदस्यों के खातों में जमा किया जाता है	23,321,844,776.42	
<hr/>		
जोड़ें		
1. प्रतिभूतियों के निवहन पर वसूल किया गया ब्याज	59,981,189,368.19	
2. बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज (केन्द्रीय)	176,020.69	
3. बचत बैंक खातों पर ब्याज (क्षेत्रीय)	60,746,170.21	
4. सहायताओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज (क्षेत्रीय)	1,847,962.48	
5. ऋण पर सदस्यों के वसूल किया ब्याज	5,389,031.83	
6. वर्ष के दौरान देरी से प्राप्त अंशदानों पर लगायी गई शारिख नुकसानी	717,629,199.38	
<hr/>		
जोड़	60,766,977,752.78	
<hr/>		
शेष	84,088,822,529.20	



2002-2003		अनुसूची संख्या-7	2003-2004	
रुपये	पैसे	(क) स्टाफ भविष्य निधि लेखे	रुपये	पैसे
1,766,390	887.19	पिछले तुलनापत्र के अनुसार शेष	2,025,555	824.19
		जोड़े		
675,978,641.00		1. वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण भी शामिल है)	765,274,842.26	
	0.00	2. बॉन्ड के भरण		0.00
166,680,429.00		3. सदस्यों के खान भोजन वित्त व्यय	158,809,194.00	
2,609,049,957.19		जोड़	2,949,639,860.45	
		घटायें		
274,603,400.00		1. वर्ष के दौरान निवृत्ती सदस्यों को अंतिम निवृत्तान के रूप में अदा की गई राशि	327,855,758.00	
	0.00	2. वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की उदायगी		0.00
242,162,790.00		3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	245,066,205.00	
66,727,943.00		4. अन्य अदा (अग्र-सेवा वगैरह)	94,671,165.00	
583,494,133.00		जोड़	667,593,128.00	
2,025,555,824.19		शेष	2,282,046,732.45	
		(ख) अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता		
40,769,506.17		महिला अग्रिम का शेष	34,924,656.17	
66,727,943.00		जोड़े		
107,497,449.17		क्षेत्रों के अंतरित धन की गई राशि	94,671,165.00	
		जोड़	129,595,821.17	
		घटायें		
72,572,793.00		अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	129,249,491.00	
34,924,656.17		शेष	346,330.17	
2,066,480,480.36		कुल (क+ख)	2,282,393,062.62	



2002-2003	
रुपये	पैसे
85,822,196.95	
220,508,550.74	
11,116.50	
<hr/>	
306,341,864.19	
<hr/>	
166,680,429.00	
7,841,888.23	
<hr/>	
174,522,317.23	
<hr/>	
131,819,546.96	

2,081,436,917.56	
300,000,000.00	
3.10	
<hr/>	
238,909,929.37	
<hr/>	
2,620,346,850.03	
0.00	
8,976,923.83	
<hr/>	
8,976,923.83	
<hr/>	
2,611,369,926.20	

अनुसूची संख्या-8
रटाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़े
1. प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज
2. बचत बैंक खातों पर ब्याज

जोड़
घटाये:
1. वर्ष के दौरान सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज
2. विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज

जोड़
शेष

अनुसूची संख्या - 9
पेंशन तथा उपदान खाता

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़े:
1. खाता सं 4 से अंतरित की गई राशि
2. बचत खाते से वसूल किया गया ब्याज
3. प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज

जोड़
घटाये:
1. क्षेत्रों द्वारा अदा की गई राशि
2. वर्ष के दौरान विक्रेताओं को अदा की गयी ब्याज की राशि

जोड़
शेष

2003-2004	
रुपये	पैसे
131,819,546.96	
230,783,285.24	
4,205.32	
<hr/>	
362,607,037.52	
<hr/>	
158,809,194.00	
4,663,682.60	
<hr/>	
163,472,876.60	
<hr/>	
199,134,160.92	

2,611,369,926.20	
300,000,000.00	
19.10	
<hr/>	
258,008,997.42	
<hr/>	
3,169,378,942.72	
0.00	
8,582,190.01	
<hr/>	
8,582,190.01	
<hr/>	
3,160,796,752.71	

2002-2003		अनुसूची संख्या-10	2003-2004	
रुपये	पैसे	निवेश अस्थिर खाता	रुपये	पैसे
1,173,329,764.88		क वर्ष 2002-2003 तक धुड़ाई गयी प्रतिभूतियां पर लाभ	-1,486,326,262.66	
-2,721,122,355.20		ख प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि	-3,279,128,031.65	
111,466,327.66		ग निवेश अस्थिर खाते पर ब्याज	0.00	
<u>-1,486,326,262.66</u>		जोड़:	<u>-4,765,454,294.31</u>	
	0.00	घटाएँ:		
<u>-1,486,326,262.66</u>		प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि	0.00	
		शेष	<u>-4,765,454,294.31</u>	
		अनुसूची संख्या -11		
		भवन निर्माण निधि		
4,449,780,760.32		पिछले तुलना पत्र के अनुसार शेष	5,218,859,880.08	
		जोड़ें:		
500,000,000.00		1. वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	500,000,000.00	
269,079,119.76		2. निधि में जमा किया गया ब्याज	229,959,137.97	
<u>5,218,859,880.08</u>		जोड़	<u>5,948,819,018.06</u>	

टिप्पणी : 31.3.2004 को भूमि तथा भवन की लागत जिसमें अंदा की गई पेशगियां भी शामिल हैं, 3,171,021,102.43 रुपये हैं तथा 31-3-2004 को निर्माण उद्देश्य के लिए उपलब्ध राशि 2,777,797,915.63 रुपये हैं।

अनुसूची संख्या-12		भवन की रख-रखाव (अवमूल्य, पुनर्नवीकरण, बदलाव) निधि	
105,756,434.50		पिछले तुलना पत्र के अनुसार शेष	140,828,348.66
		जोड़ें:	
24,127,745.38		1. वर्ष के दौरान राजस्व अधिष्ठीक से खड़ाई गई राशि	59,505,884.40
10,944,168.78		2. रकम किया गया ब्याज	14,650,418.19
<u>140,828,348.66</u>		जोड़	<u>214,984,651.25</u>

EPF India

2002-2003

रुपये पैसे

2,365,384,112.66

830,832,119.92

0.00

3,196,216,232.58

41,690,200.00

3,154,526,032.58

653,471,615,479.49

1,943,696,783.83

411,463,373.75

2,355,160,157.58

101,373,400.00

2,253,786,757.58

2,081,890,397.60

590,248,009.98

2,672,138,407.58

96,132,600.00

2,576,005,807.58

2003-2004

रुपये पैसे

3,154,526,032.58

585,076,279.00

0.00

3,739,602,311.58

1,502,100.00

3,738,100,211.58

717,120,079,991.49

2,253,786,757.58

475,443,805.04

2,729,230,562.62

127,479,500.00

2,601,751,062.62

2,576,005,807.58

789,063,548.73

3,365,069,356.31

220,532,300.00

3,144,537,056.31

(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तरित की गयी प्रतिभूतियाँ

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

1. वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)

2. अन्य समावृत्तन

जोड़

घटायें:

न्यायशाही को वापस की गई प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)

शेष (ख)

जमा (क+ख)

अनुसूची संख्या-16

स्टाफ भविष्य निधि का निवेश लेखा
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

केंद्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)

जोड़

घटायें:

छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य

शेष

अनुसूची संख्या-17

पेंशन तथा उपदान निधि (स्टाफ) का निवेश खाता

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

केंद्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)

जोड़

घटायें:

वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों का मूल्य

शेष

2002-2003	
रुपये	पैसे
9,684,962,119.90	
2,186,433,364.00	
11,871,395,483.90	
2,129,000.00	
11,869,266,483.90	

63,339,001.15	
422,052,786.96	
123,795.00	
60,385.75	
10,980,443.10	
1,738,940.85	
14,020,879.67	
71,498.25	
376,332.00	
0.00	
4,024,449.27	
516,788,512.00	

152,379,699.88	
264,208,204.40	
40,556,556.22	
0.00	
18,080.00	
44,827,666.00	
0.00	
0.00	
501,990,206.50	

अनुसूची संख्या-18

प्रशासन निधि का निवेश खाता

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोड़ें:

निवेश की गई राशि

जोड़

घटायें:

छुड़ायी गई प्रतिभूतियाँ

शेष

अनुसूची संख्या-19

वसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ)

- क वाहन अग्रिम
- ख नकान निर्माण अग्रिम
- ग पंखा अग्रिम
- घ गर्म कपड़ा अग्रिम
- ङ त्यौहार अग्रिम
- च प्राकृतिक विपदा अग्रिम
- छ वेतन/मंहगाई भत्ता/यात्रा भत्ता अग्रिम
- ज खाद्यान अग्रिम
- झ स्टाफ सहकारी कैंटीन/स्टोर अग्रिम
- ण कम्प्यूटर अग्रिम
- ट विविध अदायगी

जोड़

अनुसूची संख्या-20

अभिवहन में पड़ी राशि

- (क) क.भ.नि. लेखा संख्या-4
- (ख) क.भ.नि. लेखा संख्या-5
- (ग) क.भ.नि. लेखा संख्या-8
- (घ) क.भ.नि. लेखा संख्या-9
- (ङ) क.भ.नि. मुख्यालय लेखा संख्या - 4 अ
- (च) क.भ.नि. निवेश लेखा
- (छ) स्टाफ भ.नि. निवेश लेखा
- (ज) प्रधान उपदान निधि निवेश लेखा

जोड़

2003-2004	
रुपये	पैसे
11,869,266,483.90	
3,781,615,211.35	
15,650,881,695.25	
28,808,275.67	
15,622,073,419.58	

57,233,215.86	
415,849,172.96	
157,045.00	
15,061.75	
11,270,903.50	
1,041,325.85	
17,722,716.04	
1,217.25	
358,332.00	
2,665,484.43	
3,024,608.84	
509,339,083.48	

142,087,089.88	
368,708,070.40	
23,992,267.25	
0.00	
20,407.00	
44,827,666.00	
0.00	
0.00	
579,635,500.53	



2002-2003

रूपये पैसे

1,297,345,747.15
300,972,674.54
-1,963,357.55
13,330,689.82
35,272,579.59
2,639,980.43
866.19
-32,523,469.59
4,752,323.25
8,801,090.82
-966,063,369.65

988,340,804.13
22,926,802.77
37,767,173.92
1,049,034,780.82
82,971,411.17

319,841,635.39
53,588,299.34
0.00
4,508,601.18
7,618,288.47

325,000,869.95
184,805,989.65
0.00
0.00
0.00
895,363,683.98

अनुसूची संख्या-21

रोकड बही शेष/बैंक में नकद

(क) रोकड बही शेष
(क) क.म.नि. लेखा संख्या-1
(ख) क.म.नि. लेखा संख्या-2
(ग) क.म.नि. लेखा संख्या-3
(घ) क.म.नि. लेखा संख्या-4
(ङ) क.म.नि. लेखा संख्या-5
(च) क.म.नि. लेखा संख्या-6
(छ) क.म.नि. लेखा संख्या-7
(झ) केन्द्रीय कार्यालय
(ञ) बैंकर्स
(ड) क.म.नि. प्रवीणता अधीक्षण
जोड़ (क)

(ख) बैंक में नकद
(क) क.म.नि. निवेश खाता
(ख) स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता
(ग) पेंशन उपदान निवेश खाता
जोड़ (ख)
जोड़ (क+ख)

अनुसूची संख्या-22

विविध नामे

(क) उंचल (अवर्गीकृत) खाता
(क) क.म.नि.
(ख) प्रशासन
(ग) स्टाफ भविष्य निधि
(ख) अधिक अदायगियां
(ग) अनियमित अदायगियां
(घ) खाता संख्या-5, 8 एवं 9 में गलती से नामे की गयी राशि
(क) खाता संख्या-1 से खाता सं-5 एवं प्रतिलाभित में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिक दिखाई गई अन्तरित राशि
(ख) खाता सं-5 में अतिरिक्त जमा की गई राशि
(ग) खाता सं-8 से खाता सं-2 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक अतिक राशि का अंतरण एवं विपरीत
(घ) खाता सं-9 से गलती से कम की गयी राशि
(ङ) चोरी

जोड़

2003-2004

रूपये पैसे

-1,813,798,356.30
329,479,715.28
0.00
24,907,389.32
15,574,032.78
3,165,698.75
73.29
-448,954.56
6,409,378.12
8,790,654.01
-1,425,920,369.31

105,879,596.17
5,632,100.37
16,729,732.60
128,241,429.14
-1,297,678,940.17

281,769,659.93
58,658,027.83
0.00
5,701,078.03
27,154,762.47
459,393,612.45
54,305,864.65
19,860,913.97
25.00
0.00
906,843,944.33

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के
प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
400,391,655,190.38	1.	1 अप्रैल 2003 को आदि शेष	469,025,784,839.54
43,878,434,524.81	2.	(1) नियाक्ता का अंशदान	54,925,475,869.19
3,829,862,491.00		(क) सरकार का अंशदान 2003-2004	2,219,540,227.00
170,137,509.00		(ख) वर्ष 2002-2003 तक सरकार के अंशदान का बकाया	2,280,459,723.00
16,482,600,000.00	3.	लोक लेखों में बकाया पर ब्याज	18,154,300,000.00
41,785,803.16	4.	सचिव बैंक खाते पर ब्याज	98,067,300.73
25,447,035,132.01	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	28,635,212,798.59
	6.	अन्य प्राप्तियाँ	
184,577,841.30		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	1,303,427,193.60
0.00		(ख) केन्द्रीय अंशदान खाता संख्या-11	0.00
490,426,088,491.66	जोड़		576,642,267,951.65

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

			जमा
पेछला वर्ष	क्रम सं.	अदायगी	राशि (रुपये)
(5)	(6)	(7)	(8)
0.00	1	सदस्यता छोड़ने वाले लाभ भोगियों को अदा की गयी राशि (क) कर्मचारियों के भाग की अग्रज सहित राशि	0.00
7,888,397,079.40		(ख) धरणाहरण/सेवा निवृत्ति	8,579,988,336.14
1,168,008.00		(ग) जीवन-बीमा लाभ	638,451.00
12,096,302,071.83		(घ) प्रदान	14,968,802,012.63
152,489,952.52	2	पेशन/कर्मचारी हेतु कर्मोशल के रूप में अदा की गई राशि	156,815,607.91
0.00	3	पेशन/निधि प्रशासनिक व्यय के रूप में अदा की गई राशि	1,406,730,716.95
0.00	4	छूट प्रदान करने पर अंतरित की गई प्रतिभूतियों की राशि	0.00
1,249,728,371.79	5	प्रतिभूतियों की खरीद करने पर उपाजित व्याज के रूप में अदा की गई राशि	533,645,511.74
12,218,168.58	6	अन्य भुगतान (क) क्षेत्रीय अशदान लेखा सं० 10	9,505,327.30
0.00		(ख) केन्द्रीय अशदान लेखा सं. 11	0.00
469,025,784.839.54	7	अन्य शेष	550,986,141,987.98
490,426,088,491.66	जोड़		576,642,267,951.65

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
द्वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय पब्लिसि निधि आयुक्त

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
0.00	1	प्रशासनिक खर्च के लिए सरकार से वर्ष 2003-2004 के लिए प्राप्त राशि	0.00
0.00	2	प्रशासनिक व्यय हेतु पेंशन निधि से प्राप्त राशि	1,406,730,716.95
1,084,841,717.19	3	कर्मचारी भविष्य प्रशासन सेवा से प्राप्त राशि को आगे ले जाया गया	356,576,001.85

1,084,841,717.19

जोड़ :

1,763,306,718.80

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India
जमा

पिछला वर्ष (5)	क्रम सं. (6)	अदायगी (7)	राशि (रूपये) (8)	राशि (रूपये) (9)
413,331,212.95	1	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से खर्च की गयी राशि के पश्चात् 1-4-2003 को शेष आगे लाई गयी राशि।		1,084,841,717.19
	2	प्रशासन पर व्यय		
	(1)	राजस्व व्यय		
307,181,237.75		(क) वेतन	324,648,507.04	
50,939,120.01		(ख) भत्ते और मानदेय	55,110,681.90	
7,845,306.60		(ग) यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा खियायत	9,588,990.68	
88,244,699.87		(घ) पेंशन/अनुदान (स्टाफ)	94,423,856.59	
115,204.00		(ङ) स्टाफ भविष्य निधि, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ	202,962.56	
140,925,420.78		(च) अन्य प्रभार	176,584,419.97	
1,488,208.62		(छ) अनुदान	2,580,119.84	
6,915,133.42		(ज) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि की मरम्मत और रख-रखाव प्रभार	6,405,174.10	
603,654,331.05		जोड़	669,544,712.65	669,544,712.65
	(2)	पूंजीगत व्यय		
67,856,173.19		निर्माण कार्य (कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स इत्यादि)		8,920,288.96
1,084,841,717.19		जोड़		1,763,306,718.80

₹०/-

(अनिरुद्ध राय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

₹०/-

(अजय सिंह)

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष (1)	क्रम सं. (2)	देयताएं (3)	अनुसूची संख्या (4)	राशि (रुपये) (5)
469,025,784,839.54	1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान लेखा		550,986,141,987.98
1,084,841,737.19	2.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा कर्मचारी म.नि. के प्रशासन लेखे से व्यय की गई राशि		356,576,001.85
-13,064,407,262.14	3.	निवेश अस्थिर खाता		-19,230,453,768.70
516,946,492.40	4.	विविध जमा	1	468,863,532.90
457,563,165,786.99		जोड़		532,581,127,754.03

योजना-1995
तक का तुलन पत्र

EPF
India

पिछला वर्ष	क्रम सं.	परिसम्पत्तियाँ	अनुसूची संख्या	राशि (रुपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
210,676,420,291.86	1	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान निवेश लांक लेखों में जमा रखी गयी राशि	2	233,330,720,241.86
239,775,628,543.64	2	प्रतिभूतियों में निवेश	3	294,085,881,543.64
	3	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा		
0.00	क)	केंद्रीय सरकार से वसूल की जाने वाली राशि		0.00
1,084,841,717.19	ख)	पेंशन निधि से वसूली योग्य राशि		356,576,001.85
4,645,714,116.44	4	रोकाड बही शेष/ बैंक में नकद	4	3,353,785,057.62
324,544,689.84	5	अभिवहन में पडी राशि		231,945,744.84
1,056,016,428.02	6	विविध नामें	5	1,222,219,164.22
457,563,165,786.99	जोड़			532,581,127,754.03

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
रु. 34,295.43 लाख	(1) 31-3-2004 तक छूट प्राप्त और न छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोजताओं का बकाया पेंशन अंशदान	रु. 40,877.96 लाख
रु. 2,280,459,723.74	(2) 31-3-2004 तक सरकार से बकाया पेंशन अंशदान	रु. 542,91,45,488.00 लाख
रु. 1,084,841,717.19	(3) 31-3-2004 तक पेंशन निधि से बकाया प्रशासकीय अंशदान	रु. 356,576,001.85 लाख
	(4) तुलनपत्र में प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।	
	(5) वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
देशीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त



2002-2003	
रुपये	पैसे
272,454,626.52	
244,491,865.88	
<hr/>	
516,946,492.40	

अनुसूची संख्या-1

विविध जमा

- लेखा संख्या-10
- लेखा संख्या-11

शेष

2003-2004

रुपये पैसे

259,801,413.02	
209,062,119.88	
<hr/>	
468,863,532.90	

अनुसूची संख्या-2

लोक लेखे में खरी गई राशि

190,192,820,291.86

पिछले तुलनात्मक के अनुसार वृद्धि

210,676,420,291.86

जोड़ें:

- वर्ष के दौरान लोक लेखे से जमा की गई राशि

0.00

0.00

170,137,509.00

- 2002-2003 तक संवर्धन के भाग का बकाया

2,280,459,723.00

3,829,862,491.00

- सरकार के भाग का अग्रदान 2003-2004

2,219,540,227.00

16,482,600,000.00

- लोक लेखे पर ब्याज

18,154,300,000.00

210,676,420,291.86

शेष

233,330,720,241.86

अनुसूची संख्या-3

प्रतिभूतियों में निवेश

क. केन्द्रीय कृत रूप से खरीदी गई

प्रतिभूतियां (लागत मूल्य)

200,304,346,483.19

पिछले तुलनात्मक के अनुसार वृद्धियां

239,775,628,543.64

जोड़ें:

- केन्द्रीय कृत रूप से निर्धारित राशि (लागत मूल्य)
- खरीदी गई प्रतिभूतियों पर लाभ/हानि

64,090,125,514.95

90,950,974,506.56

-6,919,853,454.50

-6,366,046,506.56

257,474,618,543.64

जोड़ें

324,560,556,543.64

घटायें:

- प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि/लाभ
- वर्ष के दौरान छूटवाई गई प्रतिभूतियां

0.00

0.00

17,698,990,000.00

30,474,675,000.00

17,698,990,000.00

जोड़ें

30,474,675,000.00

239,775,628,543.64

शेष (क)

294,085,881,543.64

(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तरित प्रतिभूतियां

0.00	पिछले तुलन पत्र के अनुसार (नवीकृत मूल्य)	0.00
0.00	जोड़:	
0.00	1. प्राप्त प्रतिभूतियों (स्वीकृत मूल्य)	0.00
0.00	2. अन्य समायोजन	0.00
0.00	जोड़	0.00
0.00	घटायें:	
0.00	स्थापनाओं की वापिस की गई प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00
0.00	शेष राशि (ख)	0.00
239,775,628,543.64	जोड़ (क+ख)	294,085,881,543.64
	अनुसूची संख्या-4	
	रोकड़ वही शेष/बैंक में नकद	
2,129,982,465.75	1. लेखा संख्या-10	3,242,241,859.50
33,140,878.23	2. लेखा संख्या-11	78,147,645.37
2,482,590,772.46	3. भारतीय स्टेट बैंक मुम्बई के पास बकाया राशि	35,395,552.75
4,645,714,116.44	शेष	3,353,785,057.62
	अनुसूची संख्या-5	
	विविध नामे	
897,756,437.21	1. लेखा संख्या-10	1,065,559,364.41
158,259,990.81	2. लेखा संख्या-11	156,659,799.81
1,056,016,428.02	शेष	1,222,219,164.22
	अनुसूची संख्या-6	
	अन्य प्राप्तियां	
	क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	
116,898,343.68	(क) शास्तिक नुकसानी	396,976,415.84
39,920,009.86	(ख) 7 क्यू ब्याज	824,230,367.76
24,551,575.91	(ग) अदितरित जमा राशि	36,980,186.79
19,426,521.45	(घ) निधि के अंतरण के फलस्वरूप लेखा सं 1 में प्राप्त राशि	40,497,376.81
3,207,911.85	(ङ) अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	3,736,964.40
0.00	(च) विविध प्राप्तियां	1,005,882.00
204,004,362.75	जोड़	1,303,427,193.60

EPF
India

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
के प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र



कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2003-2004 को प्राप्ति और
(अंशदान)

नाम	पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
	(1)	(2)	(3)	(4)
	31,479,015,425.38	1.	1 अप्रैल 2003 को आदि शेष	35,393,585,171.09
	1,586,167,609.99	2.	(1) नियोजकों का अंशदान	1,753,593,853.07
	0.00		(2) 2003-2004 में सरकार का अंशदान	0.00
	2,210,800,000.00	3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	2,398,700,000.00
	677,047,343.98	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	795,397,723.75
	1,724,660.29	5.	बचत बैंक लेखे पर ब्याज	1,756,399.92
	16,652,529.11	6.	शास्तिक नुकसानी	27,775,658.20
		7.	अन्य प्राप्तियां :	
	16,077.38		(क) लेखा संख्या 21	46,051.00
	0.00		(ख) लेखा संख्या-25	0.00
	35,971,423,646.13	जोड़		40,370,854,857.03

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

जमा

वित्तिय वर्ष	क्र. सं	अदायगी	राशि (रूपये)
(5)	(6)	(7)	(8)
545,257,827.50	1.	बीमा लाभ	507,805,409.92
0.00	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापिस की गयी राशि	0.00
32,343,540.54	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज की राशि	22,279,241.22
237,107.00	4.	अन्य अदायगियाँ	
0.00		(क) लेखा संख्या - 21	44,685.00
		(ख) लेखा संख्या - 25	0.00
35,393,585,171.09	5.	अन्त शेष	39,840,725,520.89
35,971,423,646.13	जोड़		40,370,854,857.03

ह०/-

(अनिरुद्ध राय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त



कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2003-2004 का प्राप्ति और
(प्रशासन)

नाम

पिछला वर्ष (1)	क्र. सं (2)	प्राप्तियां (3)	राशि (रुपये) (4)
7,336,735,684.82	1.	1 अप्रैल 2003 को आदि शेष	8,070,479,241.38
58,665,030.71	2.	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	57,826,294.93
18,738,712.65	3.	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	18,465,711.72
1,017,313.65	4.	शास्तिक नुकसानी	1,657,393.21
0.00	5.	(क) वर्ष 2002-2003 तक सरकार के भाग की बकाया राशि	0.00
0.00		(ख) वर्ष 2003-2004 के निधि प्रशासन की लागत के रूप में सरकार से प्राप्त राशि	0.00
0.00	6.	(क) प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त ब्याज	0.00
696,685,619.00		(ख) विशेष जमाखाते पर ब्याज	609,925,513.78
98,941.28		(ग) बचत खाते पर ब्याज	98,523.21
0.00		(घ) अग्रिम पर ब्याज	0.00
566,956.78	7.	अन्य प्राप्तियां	
0.00		(क) लेखा संख्या - 22	242,199.87
		(ख) लेखा संख्या - 24	0.00
8,112,508,258.89	जोड़		8,758,694,878.10

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

EPF
India

			जमा	
पिछला वर्ष	क्र. सं	अदायगी	राशि (रूपये)	(राशि रूपये)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.	प्रशासन व्यय		
	(क)	राजस्व व्यय		
19,198,827.36	(1)	वेतन	20,290,531.69	
3,183,695.00	(2)	भत्ते और मानदेय	3,444,417.62	
490,331.66	(3)	यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	599,311.91	
5,515,293.74	(4)	पेंशन/उपदान (स्टाफ)	5,901,491.04	
7,200.25	(5)	स्टाफ भविष्य निधि (क.नि.स.लाभ)	12,685.16	
8,807,838.80	(6)	अन्य प्रभार (आवर्ती और अनावर्ती)	11,036,526.26	
93,013.04	(7)	अनुदान	161,257.49	
432,195.84	(8)	कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि की परम्पत एवं रख-रखाव	400,323.38	
37,728,395.69		जोड़	41,846,544.55	41,846,544.55
	(ख)	पूंजीगत व्यय :		
4,241,010.82		कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि का निर्माण		557,518.06
	2.	अन्य अदायगियां		
59,611.00	(क)	लेखा संख्या 22		190,912.54
0.00	(ख)	लेखा संख्या 24		200.00
8,070,479,241.38	3.	अंत शेष		8,716,099,702.95
8,112,508,258.89		जोड़		8,758,694,878.10

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष (1)	क्र. सं (2)	देयताएं (3)	अनुसूची संख्या (4)	राशि (रूपये) (5)
35,393,585,171.09	1.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा		39,840,725,520.89
8,070,479,241.38	2.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशासन लेखा		8,716,099,702.95
-386,141,713.13	3.	निवेश अस्थिर खाता		-685,138,682.27
223,061,209.00	4.	विविध जमा	1	198,713,895.86
43,300,983,908.34		जोड़		48,070,400,437.43

बीमा योजना-1976
तक का तुलन पत्र

EPF
India

पिछला वर्ष (6)	क्र. सं. (7)	परिसम्पत्तियां (8)	अनुसूची संख्या (9)	राशि (रुपये) (10)
		1. निवेश लेखा		
	(क)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा		
6,632,216,209.05	(1)	प्रतिभूतियों में निवेश	2	8,423,551,209.05
28,220,014,794.14	(2)	लोक लेखा में जमा	3	30,618,714,794.14
	(ख)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि लेखा		
8,100,416,645.23	(1)	सावधि जमा में निवेश राशि	4	8,761,252,159.01
-44,237,057.31	(2)	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखा में से देय राशि	5	-52,491,119.92
143,952,627.37	2.	रोकड़ वही शेष/बैंक में नकद	6	104,313,186.83
150,758,036.43	3.	अभिवहन में पड़ी राशि	7	117,540,081.38
97,862,653.43	4.	विक्रिध नामे	8	97,520,126.94
43,300,983,908.34	जोड़			48,070,400,437.43

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
2,612.56 लाख रुपये	1. 31-3-2004 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.स.बी. अंशदान	3,445.97 लाख रुपये
317.61 लाख रुपये	2. 31-3-2004 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार और निरीक्षण प्रभार	336.90 लाख रुपये
	3. प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित भूल्य के आधार पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	
	4. वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-
(अनिरुद्ध राय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

EPF India

2002-2003

रूपये पैसे

33,265,273.76
113,793,585.73
1,344,061.55
15,492,395.41
59,165,892.55

223,061,209.00

5,238,854,056.67

2,054,240,167.18

-205,378,014.80

7,087,716,209.05

0.00

455,500,000.00

455,500,000.00

6,632,216,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,632,216,209.05

अनुसूची संख्या-1

विविध जमा

1. लेखा संख्या-21 में अधिक जमा
2. लेखा संख्या-25 में अधिक जमा
3. भा.रि. बैंक लेखे में अधिक जमा
4. लेखा संख्या-22 में अधिक जमा
5. लेखा सं. 24 में अधिक जमा

शेष

अनुसूची संख्या-2

(क) केन्द्रीय रूप से खरीदी गई प्रतिभूतियाँ

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष

जोड़ें:

1. केन्द्रीय रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)
2. प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि

जोड़

घटायें:

1. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि
2. वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियाँ

जोड़

शेष (क)

(ख) क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रतिभूतियाँ :

पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष
(स्वीकृत मूल्य)

जोड़ें:

1. प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)
2. अन्य समायोजन

जोड़

घटायें:

स्थापनाओं को वापस की गई प्रतिभूतियाँ
(स्वीकृत मूल्य)

शेष (ख)

जोड़ (क+ख)

2003-2004

रूपये पैसे

30,787,385.87
86,069,864.38
1,344,061.55
13,956,288.36
66,556,295.70

198,713,895.86

6,632,216,209.05

2,857,451,969.14

-298,996,969.14

9,190,671,209.05

0.00

767,120,000.00

767,120,000.00

8,423,551,209.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,423,551,209.05

2002-2003	
रूपये	पैसे
26,009,214,794.14	
	0.00
	0.00
	0.00
2,210,800,000.00	
28,220,014,794.14	

7,329,101,026.23	
	74,630,000.00
	696,685,619.00
8,100,416,645.23	
	0.00
8,100,416,645.23	

-10,047,650.80	
	7,780,000.00
-2,267,650.80	
-41,969,406.51	
-44,237,057.31	

अनुसूची संख्या-3	
लोक लेखे में जमा राशि	
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	
1.	वर्ष के दौरान जमा की गई राशि
2.	2003-2004 के लिए सरकार का अंशदान
3.	2002-2003 तक सरकार के भाग का बकाया
4.	लोक लेखे में बकाया पर ब्याज
शेष	

अनुसूची संख्या-4	
निवेश की गई राशि	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
जोड़ें:	
क)	वर्ष के दौरान जमा की गई राशि
ख)	वर्ष के दौरान एस.डी. ए. पर ब्याज
जोड़	
घटायें:	
इस दौरान छुड़ायी गयी राशि	
शेष	

अनुसूची संख्या-5	
कर्मचारी म.नि. प्रशा. लेखे से देय राशि	
(क) खाता संख्या 24 में संव्यवहार:	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	
जोड़ें:	
वर्ष के दौरान	
शेष	
(ख) खाता संख्या 22 में संव्यवहार:	
अंतरित राशि (प्रशासन व्यय अंश)	
शेष (क+ख)	

2003-2004	
रूपये	पैसे
28,220,014,794.14	
	0.00
	0.00
	0.00
2,398,700,000.00	
30,618,714,794.14	

8,100,416,645.23	
	50,910,000.00
	609,925,513.78
8,761,252,159.01	
	0.00
8,761,252,159.01	

-44,237,057.31	
	34,150,000.00
-10,087,057.31	
-42,404,062.61	
-52,491,119.92	



2002-2003

रुपये पैसे

46,116,623.76

220,446.10

858,295.23

704,929.55

97,768,923.19

143,952,627.37

अनुसूची संख्या-6

रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद

1. लेखा संख्या-21

2. लेखा संख्या-25

3. लेखा संख्या-22

4. लेखा संख्या-24

5. भारतीय स्टेट बैंक में राशि

शेष

2003-2004

रुपये पैसे

56,558,696.58

617,327.20

1,149,297.09

511,429.38

45,476,436.58

104,313,186.83

अनुसूची संख्या-7

अभिवहन में पड़ी राशि

1. लेखा संख्या 21 से 25 में

2. बैंक लेखे से लेखा 25 में

3. लेखा संख्या-22 से 24 में

शेष

128,124,741.79

532,224.15

22,101,070.49

150,758,036.43

97,871,333.44

532,224.15

19,136,523.79

117,540,081.38

अनुसूची संख्या-8

विविध नामे

1. लेखा संख्या-21

2. लेखा संख्या-25

3. लेखा संख्या-22

4. लेखा संख्या-24

शेष

33,617,157.31

26,544,780.50

9,856,346.88

27,844,368.74

97,862,653.43

33,180,751.77

26,594,898.50

9,908,149.93

27,836,326.74

97,520,126.94

वर्ष 2003-2004 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों की
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

EPF
India

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>प्रस्तावना</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधिनियमन् के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को स्थापना वर्ष 1952 में हुई। कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को पर्याप्त एवं लंबी अवधि के लिए सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में 1971, 1976 एवं 1995 में पुनः संशोधन किये गए। परिवार पेंशन योजना (प.पें.यो.) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (क.नि.स.बी.यो.) क्रमशः 1.3.71 तथा 1.8.1976 को लागू हुई। 15.11.95 के पश्चात् परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त कर दी गई तथा परिवार पेंशन योजना को समस्त राशि का कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में विलय कर दिया गया</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>उद्देश्य</p> <p>(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा लाभों के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:</p> <p>(क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को लागू करना</p> <p>(ख) वसूली एवं न्यास में जमा राशि का प्रबंधन, एवं</p> <p>(ग) योजनाओं के सदस्यों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>(ii) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना नाम की तीनों योजनाओं को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली एक त्रिपक्षीय समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है इसमें केन्द्र/ राज्य सरकार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>(iii) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत (स्थापना की श्रेणी पर आधारित) अंशदान के रूप में देना होता है तथा इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा भी दिया जाता है। इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाता है जहां इसे सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 मार्च 2004 तक कर्मचारी भविष्य निधि में निवेशित राशि 71712.00 करोड़ रुपए थी।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि नियोक्ता के अंशदान में से 8.33% पेंशन निधि में अंतरित कर दिया जाता है जबकि शेष राशि भविष्य निधि में ही रहती है।</p>
<p>(iv) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार भी कर्मचारियों के वेतन का 1.16 प्रतिशत अंशदान के रूप में देती है। केन्द्र सरकार के हिस्से एवं लोक खाते के निवेश पर प्राप्त ब्याज को पुनः लोक खाते में निवेश किया जाता है। वार्षिक लाभ उपलब्ध कराने के पश्चात् अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 52 के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 मार्च 2004 को लोक खाते में इस योजना का संग्रह 23333.07 करोड़ रुपए था तथा प्रतिभूतियों की राशि 29408.59 करोड़ रुपए थी।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>
<p>(v) क.नि.सह.बी.यो., 1976 का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान से होता है। इस योजना के अंतर्गत, सेवा के दौरान मरने वाले अभिदाता के परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। 31 मार्च 2004 को लोक खाते में इस खाते का निवेशित बकाया 3061.87 करोड़ रुपए था तथा प्रतिभूतियों में 842.36 करोड़ रुपए था।</p>	<p>वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रशासनिक व्यय को पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से अलग से वेतन के 1.10 प्रतिशत की दर से तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से निरीक्षण प्रभार के रूप में वेतन के 0.18 प्रतिशत की दर से अंशदान लेकर की जाती है। ये दरें एक अगस्त 1998 से लागू हैं।</p> <p>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासनिक व्यय को पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 0.01 प्रतिशत की दर से तथा छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निरीक्षण प्रभार के रूप में वेतन के 0.005 प्रतिशत की दर से अंशदान के रूप में देने से की जाती है।</p> <p>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्रशासनिक व्यय को पूरी प्रतिपूर्ति कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की पेंशन निधि द्वारा की जाती है।</p> <p>संगठन की लेखा-परीक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 ए (6) के अंतर्गत शामिल उपबंध के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत की जाती है।</p>	<p>तीनों योजनाओं का कुल प्रशासनिक व्यय क.भ.नि. योजना के प्रशासनिक खाते से किया जाता है और वित्तीय वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से 83:16:1 के अनुपात से विनियोजित किया जाता है।</p>
<p>लेखों पर टिप्पणी</p> <p>2. तुलनपत्र</p> <p>2.1 देयताएँ</p> <p>2.1.1 देयताओं को 2468.11 करोड़ रुपए से कम आंकना।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र के देयताओं की ओर "निवेश घट-बढ़ खातों" शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः 476.55 करोड़ रुपए, 1923.05 करोड़ रुपये तथा 68.51 करोड़ रुपयों का ऋणात्मक शेष दिखाया गया है। देयता की तरफ ऋणात्मक शेष दिखाने के बजाय इन शेषों को संबंधित तुलन पत्र के परिसम्पत्ति की तरफ दर्शाया जाना चाहिये था। इस प्रकार देयताओं को 2468.11 करोड़ रुपये से कम आंका गया। तुलनपत्र में देयताओं की ओर 2468.11 करोड़ रुपए का ऋणात्मक शेष दिखाने के कारण, परिसम्पत्तियों और देयताओं दोनों को कम दर्शाया गया। इस प्रकार तुलनपत्र खातों का सच्चा और सही-स्वरूप प्रदर्शित नहीं करता।</p> <p>क.भ.नि.संगठन ने (दिसम्बर 2004) में बताया कि इन ऋणात्मक शेषों को अनुमोदित फार्मेट के अनुसार ही दिखाया गया है। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि क.भ.नि.सं. को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा सांविधिक निकायों के लिए निर्धारित नया/एकसमान फार्मेट को अपनाना चाहिए ताकि खातों में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाई जा सके।</p>	<p>(क) लाफ तौर पर 'निवेश घट बढ़ खाता' क.भ.नि.संगठन के लिए देयता नहीं है, लेखा नीतियों के अनुसार निवेश को अंकित मूल्य पर दिखाने के लिए यह केवल समाधान लेखा है, जिसमें नए निवेश पर प्रीमियम/छूट को समायोजित किया जाता है। इस खाते से किसी भी पक्ष को कुछ भी देय नहीं है। इस प्रकार देयताओं को कम नहीं बताया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, संगठन ने इस खातों के दर्शाने से संबंधित प्रक्रिया को बदलने के संबंध में कदम उठाए हैं ताकि इस खाते को आई.सी.ए.आई. के सम्बन्धित निवेश लेखा मानकों के अनुसार दिखाया जा सके, तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा प्रतिभूति के प्रचलन के दौरान परिशोधन प्रक्रिया का अनुमोदन करा लिया गया है। प्रस्तावित प्रक्रिया का क्रियान्वयन नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जाएगा।</p> <p>(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 5ए (5) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा खातों के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मेट नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विचार-विमर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है और फार्मेट के अनुसार यह खाता केवल देयताओं की तरफ ही दिखाया जाना है।</p> <p>इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा - प्रेक्षण की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार तथा</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
	<p>भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लेखों का वर्तमान प्रारूप परिवर्तित होता है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मामले में देयताओं को कम नहीं दिखाया गया है।</p>
<p>2.1.2.</p> <p>मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल के तुलन पत्र में सामूहिक बीमा योजना की मद के तहत क्रमशः 6.26 लाख रुपए और 1.77 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष परिसम्पतियों की तरफ दिखाने की बजाय देयताओं की ओर दिखाया गया है। परिणामस्वरूप संगठन की देयताएं 8.03 लाख रुपए से कम बताई गई हैं।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिसम्बर (2004) में बताया कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान ऋणात्मक शेष को समाप्त करने के लिए समुचित उपाय किए जायेंगे।</p>	<p>(क) इस मद के तहत ऐसे नकारात्मक शेष हो सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों की पॉलिसी को बनाए रखने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा डिमाण्ड नोट भेजे जाने पर ही उन्हें भुगतान कर दिया जाता है तथा कर्मचारियों के वेतन से अंशदान वसूल करने और सम्बद्ध कार्यालय पहुंचने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त 'सामूहिक बीमा योजना' से सम्बंधित 6.57 लाख रुपए की राशि, पिछले वर्षों के दौरान गलती से खाता संख्या 4-ए में जमा करने के बजाय खाता संख्या 4 में जमा कर दी गई थी, इस कारण इस मद में ऋणात्मक शेष रहा। इस मद के तहत नकारात्मक शेष को वित्तीय वर्ष 2004-2005 में दूर कर दिया जाएगा।</p> <p>(ख) चूंकि 1.77 लाख रुपए की राशि क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बंधित है, क्षेत्रीय कार्यालय के वर्ष 2004-2005 के अंतिम लेखों में समुचित उपाय किए जाएंगे।</p>
<p>2.1.3 असत्यापित देयताएँ</p> <p>संगठन के तुलनपत्र के देयता की तरफ "सामूहिक बीमा योजना (पुरानी)" के मद के तहत 1.01 करोड़ रुपए दिखाये गये हैं। इस योजना को रोक दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा हकदार कर्मचारियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा की जानी थी।</p> <p>इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा में भी दर्शाया गया था। किन्तु, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस मामले के निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर 2004) कि क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय से नामे (डैबिट) नोट की प्राप्ति होने पर देयताओं की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। संगठन का यह जवाब तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1.01 करोड़ रुपए की राशि मुख्यालय से वसूली राशि में नहीं दिखायी है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनपत्र में असमायोजित आंतरिक लेन-देन प्रदर्शित हो गये जबकि वर्ष के अंत में कोई शेष नहीं रहना चाहिए।</p>	<p>संगठन को जी.आई.एस. (पुरानी) के तहत अंतिम निपटान की देयता लगभग 100.89 लाख रुपए हैं। वस्तुतः बकाए का भुगतान सम्बंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा हकदार स्टाफ कर्मचारियों को कर दिया गया है। इन राशियों की प्रतिपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय को उनसे नामे नोट प्राप्त करने के उपरांत कर दी जायेगी। जिसके लिए अनुदेश मुख्यालय द्वारा पहले ही जारी कर दिए गए हैं। चूंकि मामला पुराना है, अतः नामे नोट जारी करने से पूर्व अभिलेखों को सत्यापित करने में क्षेत्रीय इकाईयों को कुछ समय लगेगा।</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां																														
<p>2.1.4. ब्याज उंचत लेखा 8408.88 करोड़ रु.</p> <p>वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि बकाया तथा नियोक्ताओं से देरी से प्राप्त अंशदान पर शास्तिक नुकसानी पर अर्जित ब्याज को ब्याज उंचत लेखे (एक प्रोफार्मा लेखा) में जमा किया जाता है। इसके बाद वार्षिक लेखों को बंद करते समय ब्याज अभिदाताओं के लेखों में जमा किया जाता है तथा उसी राशि को ब्याज उंचत लेखा में नामे (डेबिट) किया जाता है। 31.03.04 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलनपत्र में 8408.88 करोड़ रुपए जमा शेष था। 1999-2000 तथा उससे आगे के 5 वर्षों के ब्याज उंचत लेखा की स्थिति का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है।</p> <p style="text-align: right;">रुपए लाखों में</p> <table border="1" data-bbox="256 869 945 1034"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>पिछले वर्ष का शेष</th> <th>वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज</th> <th>ब्याज उंचत लेखे से नामे (डेबिट) ब्याज</th> <th>अन्तः शेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999-00</td> <td>817,617</td> <td>511,779</td> <td>545,123</td> <td>784,273</td> </tr> <tr> <td>2000-01</td> <td>784,273</td> <td>562,809</td> <td>544,859</td> <td>802,223</td> </tr> <tr> <td>2001-02</td> <td>802,223</td> <td>575,079</td> <td>584,353</td> <td>792,949</td> </tr> <tr> <td>2002-03</td> <td>792,949</td> <td>595,301</td> <td>556,938</td> <td>831,312</td> </tr> <tr> <td>2003-04</td> <td>831,312</td> <td>607,670</td> <td>598,094</td> <td>840,888</td> </tr> </tbody> </table> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि 8408.88 करोड़ रुपए में से 2332.18 करोड़ रुपए 2002-03 तक अर्जित ब्याज तथा 6076.70 करोड़ रु. 2003-2004 के दौरान अर्जित ब्याज से सम्बंधित है जिसको आगामी वर्ष के दौरान सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। चूंकि समान विसंगति को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी बताया गया था तथापि पिछले वर्ष के अन्तःशेष की राशि 8313.12 करोड़ रुपए को तुलना में चालू वर्ष में अन्तःशेष बढ़कर 8408.88 करोड़ रुपए हो गया है।</p>	वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	ब्याज उंचत लेखे से नामे (डेबिट) ब्याज	अन्तः शेष	1999-00	817,617	511,779	545,123	784,273	2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223	2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949	2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312	2003-04	831,312	607,670	598,094	840,888	<p>8,40,888 लाख रुपए में से 2,33,218 लाख रुपए वर्ष 2002-2003 तक अर्जित ब्याज तथा 6,07,670 लाख रुपए 2003-2004 के दौरान अर्जित ब्याज से सम्बंधित है जिसको आगामी वर्ष के दौरान सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है। एक वर्ष में अर्जित ब्याज को हमेशा ब्याज उंचत लेखे में रखा जाता है। 2,33,218 लाख बकाया ब्याज की राशि है जिसको उन सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है जिनका 2002-03 तक समेकन नहीं किया गया है।</p>
वर्ष	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	ब्याज उंचत लेखे से नामे (डेबिट) ब्याज	अन्तः शेष																											
1999-00	817,617	511,779	545,123	784,273																											
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223																											
2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949																											
2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312																											
2003-04	831,312	607,670	598,094	840,888																											
<p>2.1.5</p> <p>वर्ष 2003-04 के लिए 942.45 करोड़ रुपए के अदावी जमा पर 9.5 प्रतिशत की दर से देय ब्याज के रूप में 89.58 करोड़ रुपए को तुलनपत्र के देयता पक्ष में अदावी जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अलग से नहीं दर्शाया गया है।</p> <p>क.भ.नि.संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुसार अदावी जमा लेखापर देय ब्याज को अलग से दर्शाने का कोई प्रावधान नहीं है। बी.पी.आर. के अन्तर्गत बनाई गई नई लेखा प्रक्रिया में इस कमी को ओर ध्यान दिया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। चूंकि अदावी जमा पर देय ब्याज को तुलनपत्र के देयता पक्ष पर अदावी जमा शीर्षक के अन्तर्गत अवश्य अलग से दर्शाना चाहिए ताकि लेखों की सही तस्वीर दर्शायी जा सके।</p>	<p>लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुसार अदावी जमा लेखों पर देय ब्याज को अलग से दर्शाने का कोई प्रावधान नहीं है। बीपीआर के अन्तर्गत बनाई गई लेखा प्रक्रिया में इस कमी को ओर ध्यान दिया जा रहा है।</p>																														
<p>2.1.6 विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) में ऋणात्मक शेष</p> <p>विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल तथा गुजरात द्वारा विशेष आरक्षित निधि में क्रमशः 5.04 करोड़ रुपए तथा 1.98 लाख रुपए ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाये गये हैं। ऋणात्मक शेष के कारण लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया। इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विशेष आरक्षित निधि रजिस्टर में दिये गये आँकड़े तथा मुख्यालय से संबंधित आँकड़ों में विसंगति है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि इन इकाइयों में निधि के प्राधिकरण को रिकार्ड न करने तथा रजिस्टर में अवसूली योग्य अदायगीयों जैसे मनीआर्डर कमीशन, मृत्युराहत निधि इत्यादि को गलत दर्शाने के कारण ऋणात्मक शेष था।</p>	<p>विशेष आरक्षित निधि रजिस्टर मंजूरी के विरुद्ध एक यूनिट द्वारा निधि के प्रयोग को दिखाता है। यह किसी प्रकार के केश फ्लो प्रबन्धन को नहीं दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल तथा गुजरात से संबंधित क्रमशः 503.25 लाख रुपए तथा 1.98 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष इन इकाइयों में निधि के प्राधिकरण के रिकार्ड न करने के कारण तथा रजिस्टर में अवसूली योग्य अदायगीयों जैसे मनीआर्डर, कमीशन, मृत्यु राहत निधि इत्यादि को गलत दर्शाने के कारण था। इस वर्णित विसंगति का विशेष आरक्षित निधि के कार्य पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं है।</p>																														

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>2.1.7 विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर तथा वार्षिक लेखे आंकड़ों में अन्तर विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान 0.23 करोड़ रुपए अदा किया हुआ दर्शाया गया है जबकि समेकित तुलनपत्र में यह 3.79 करोड़ रुपए दर्शाया गया। 3.56 करोड़ रुपए के अंतर के समाधान की आवश्यकता है। इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तुलनपत्र में दर्शाया गया विशेष आरक्षित निधि का शेष सही तस्वीर को नहीं दर्शाता है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि रजिस्टर में दर्शाये गये आंकड़े तथा वास्तविक आंकड़ों का समाधान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।</p>	<p>मुख्यालय में प्राप्त मासिक रिटर्नों के आधार पर विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर बनाया जाता है जो कि कभी-कभी अद्यतन नहीं होता है जबकि तुलनपत्र वास्तविक उपयोग के आधार पर समेकित किया जाता है। 356.37 लाख रुपए अन्तर मुख्यतः इस कारण तथा पैरा 2.1.6 में उल्लिखित आधार पर है यद्यपि इसका विशेष आरक्षित निधि के कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी रजिस्टर में दर्शाये गये आंकड़ों का वास्तविक से समाधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।</p>
<p>2.2 परिसम्पतियाँ 2.2.1 परिसम्पतियों को कम बताना कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र में परिसम्पत्ति पक्ष को ओर "कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से देय राशि" शीर्ष के अन्तर्गत 5.25 करोड़ रुपए ऋणात्मक शेष दर्शाया गया है। इस ऋणात्मक शेष को देयताओं पक्ष को ओर दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रुपए की परिसम्पतियाँ कम दर्शायी गईं। "कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से देय राशि" शीर्ष के अन्तर्गत 5.25 करोड़ रुपए का ऋणात्मक शेष परिसम्पतियाँ पक्ष को ओर दर्शाने के परिणामस्वरूप परिसम्पतियाँ तथा देयताओं दोनों पक्षों को कम दर्शाया गया है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा (दिसम्बर, 2004) कि लेखों के अनुमोदित फोरमेट के अनुसार - इस लेखे को परिसम्पति पक्ष को ओर दर्शाया जाना था तथा टिप्पणियों की स्वीकृति में भारत सरकार तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि प्रविष्टि लेखों के फोरमेट से सम्बंधित नहीं है। बल्कि लेखों के मूल सिद्धान्त पर है जिसके अनुसार परिसम्पतियों के अन्तर्गत सभी ऋणात्मक बकाया को केवल देयता पक्ष को ओर दिखाया जाना चाहिए।</p>	<p>(क) लेखों के अनुमोदित फोरमेट के अनुसार इस लेखे को केवल परिसम्पतियाँ पक्ष को ओर दर्शाया जाता है। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों की स्वीकृति पर केन्द्रीय सरकार तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा चूंकि इसके परिणामस्वरूप अन्तिम लेखों के वर्तमान फोरमेट में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे।</p> <p>(ख) लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा से अनुरोध किया गया कि सही दर्शाने के लिये निर्देश दिये जायें परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।</p>
<p>2.2.2 परिसम्पतियों को अधिक दर्शाना वर्ष 2002-03 के दौरान अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये पेशगी के रूप में एन.बी.सी.सी. लि. को 63.36 लाख रुपए की अदायगी की गई, परन्तु इस राशि को मुख्यालय के तुलनपत्र में स्टाफ क्वार्टरों के लिये भूमि तथा भवन निर्माण (पेशगी) के बजाय भूमि तथा भवन निर्माण (अर्जित परिसम्पति) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप मुख्यालय के तुलनपत्र में 63.36 लाख रुपए भूमि तथा भवन निर्माण में अधिक दर्शाये गये तथा भूमि तथा भवन निर्माण (पेशगी) में कम दर्शाये गये।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि वर्ष 2004-05 के लिये इकाई के तुलनपत्र में अपेक्षित सुधार किया जायेगा।</p>	<p>वर्ष 2004-05 के लिये इकाई के तुलनपत्र में अपेक्षित सुधार किया जायेगा।</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>2.2.3 असत्यापित परिसम्पत्तियाँ</p> <p>i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलनपत्र में "भूमि तथा भवन" शीर्षक के अन्तर्गत 204.85 करोड़ रुपए अर्जित सम्पत्ति तथा 112.26 करोड़ रुपए पेशगी की अदायगी के रूप में दर्शाये गये। वर्ष के दौरान अर्जित सम्पत्ति को परिसम्पत्तियों के रजिस्टर में रिकार्ड नहीं किया गया। अतः तुलनपत्र में दर्शाये गये आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सका।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि वर्ष के दौरान वृद्धि को दर्शाने वाली विवरणी सम्बंधित क्षेत्रों द्वारा भी भेजी गई जो कि लेखा परीक्षा पूरी होने तक सभी क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई थी। 6 क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसम्पत्तियाँ रजिस्टर का समाधान किया जा चुका था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। चूंकि तुलनपत्र में दर्शायी गई परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्शाये गये मूल्य से मिलान होना चाहिये।</p>	<p>अर्जित अचल (फिक्स) सम्पत्तियों तथा अदा की गई पेशगियों के लिये रिकार्डों का रख रखाव करने से सम्बंधित प्रक्रिया का विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है तथा सम्बंधित क्षेत्र ही सभी दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रों का रख रखाव करता है।</p> <p>क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में अर्जित परिसम्पत्तियों तथा अदा की गई पेशगियों के सम्बन्ध में आंकड़े उनके तुलनपत्र में दर्शाये गये हैं तथा उनके राज्यों के महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। इसके बाद ही, इनको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सम्बन्धित तुलनपत्र में समेकन हेतु मुख्यालय में भेजा जाता है। फिर भी इन आंकड़ों के साथ सम्बंधित क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान वृद्धि के ब्यौरे को दर्शाने वाली विवरणी भेजी जाती है जो कि लेखा परीक्षा पूरी होने तक सभी क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई थी। 6 क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का अब तक समाधान किया जा चुका है।</p>
<p>ii) सम्बंधित तुलनपत्रों में परिसम्पत्तियाँ पक्ष की ओर "सार्वजनिक लेखे में जमा" शीर्षक के अन्तर्गत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में 23333.07 करोड़ रुपए तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में 3061.87 करोड़ रुपए का निवेश दर्शाया गया है जिसका मिलान मुख्य लेखा अधिकारियों के कार्यालय, श्रम मंत्रालय के साथ किया जाना था। मिलान न होने के कारण इन परिसम्पत्तियों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सकता।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने तुलनपत्र में दर्शाये गये शेष पर भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक लेखे में ब्याज जमा करता है तथा फिर पूर्व लेखा परीक्षक कार्यालय (पी.ए.ओ.) द्वारा आगे समाधान करना अपेक्षित नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है।</p>	<p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने तुलनपत्र में दर्शाये गये शेष पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लोक लेखे में ब्याज जमा किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक लेखे में दर्शाये गये शेष को प्रविष्टि भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा आगे समाधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य की जाँच इस बात से की जा सकती है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पत्र संख्या बजट 7(2)/96/पी.एस./ 1336 दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के द्वारा 1.4.2003 को संगठन के तुलनपत्र में दर्शाये गये सार्वजनिक लेखे में आदि शेष के आधार पर वर्ष 2003-04 के सार्वजनिक लेखे में रखे गये पेंशन निधि पर 1815.43 करोड़ रुपए का ब्याज के रूप में दावा किया जिसको श्रम मंत्रालय ने मंजूर कर लिया तथा विभिन्न पत्रों के द्वारा सूचना दी।</p>
<p>2.2.4 मार्गस्थ प्रेषण</p> <p>वित्तीय वर्ष के अंत में एक लेखे से दूसरे लेखे में अंतरित राशि अथवा बैंक द्वारा विभिन्न खातों में गलती से जमा की गई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। जब तक कि इसे संबंधित खाते में अंतरित / जमा नहीं किया जाता इसे "मार्गस्थ प्रेषण" शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।</p>	<p>कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा इसके अंतर्गत रचित तीनों योजनाओं के प्रावधानों को 106 फील्ड कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालयों,</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

संगठन की टिप्पणियां

तुलन-पत्र में मार्गस्थ प्रेषण में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के क्रमशः 57.96 करोड़ रु, 23.19 करोड़ रुपए तथा 11.75 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं जिनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपलेखा कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। संगठन की कार्यपद्धति की प्रकृति में बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन-देन की आवश्यकता होती है। ऐसे परिदृश्य में वर्ष के अंत में मार्गस्थ-प्रेषण अपरिहार्य है। प्रणाली में मार्गस्थ राशि स्वाभाविक है, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतरित की गई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। अतः खाते में शेष 'शून्य' नहीं हो सकता। कई बार राशि को गलत खाते में जमा कर दिया जाता है तथा उस राशि को भी मार्गस्थ-राशि के रूप में दर्शाया जाता है। मार्गस्थ राशि को निरंतर मॉनीटर किया जाता है तथा क्षेत्र को इस बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह राशि जमा करने के संबंध में बैंक से बातचीत कर सके। निरंतर मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में मार्गस्थ राशि में 2003-04 से पूर्वगामी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 26.03, 44.40 एवं 29.78 % की कमी आई है। (वर्ष 2003-04 से संबंधित राशि का समाधान वर्तमान वर्ष के दौरान होगा। तथापि, अब तक कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से संबंधित क्रमशः 1745.92 लाख रुपये, 515.00 लाख रुपये तथा 127.60 लाख रुपये की राशि का समाधान किया जा चुका है।)

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	लेखा संख्या 4	लेखा संख्या 5	लेखा संख्या 8	लेखा संख्या 4 ए	क.भ.नि. निवेश खाता	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1999-2000 तक	536.22	1,997.08	112.75	-	448.28	3,094.33
2000-01	392.21	5.00	30.49	-	-	427.70
2001-02	104.03	-	0.06	-	-	104.09
2002-03	75.16	-	11.82	-	-	86.98
2003-04	313.25	1,685.00	84.80	0.20	-	2,083.25
कुल	1,420.87	3,687.08	239.92	0.20	448.28	5,796.35

(ख) कर्मचारी पेंशन योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	मार्गस्थ-प्रेषण
1999-00 तक	1,804.46
2000-01	0.00
2001-02	0.00
2002-03	0.00
2003-04	515.00
कुल	2,319.46

(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	लेखा संख्या 24	लेखा संख्या 25	भारतीय रिजर्व बैंक	कुल
1999-00 तक	176.86	791.89	5.32	974.07
2000-01	5.12	42.39	-	47.51
2001-02	4.13	21.00	-	25.13
2002-03	-0.08	12.00	-	11.92
2003-04	3.34	111.43	-	116.77
कुल	191.37	978.71	5.32	1,175.40

उपर्युक्त मार्गस्थ शीर्ष का समाशोधन न होने के कारण उपरोक्त खातों में वास्तविक शेष का पता नहीं लग सका।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) वर्ष के अंत में मार्गस्थ प्रेषण अपरिहार्य था तथा इस राशि को निरंतर मॉनीटर किया गया है। यह जवाब तकसंगत नहीं है क्योंकि "मार्गस्थ प्रेषण" शीर्ष के अंतर्गत राशि में वर्ष 1999-2002 से पहले के पुराने प्रेषण भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप शीर्ष एवं बैंक शेष का गलत चित्रण होता है।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां		संगठन की टिप्पणियां																																	
<p>2.2.5 त्रुटिपूर्ण नाम/जमा</p> <p>एक खाते से संबंधित राशि गलती से बैंक द्वारा दूसरे खाते में जमा / नामे की जा सकती है। निम्नलिखित खातों के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में गलत नामे / अधिक जमा / लापता जमा दर्शाया गया। (रुपयों लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खाता संख्या</th> <th>बैंक द्वारा गलती से किया गया जमा</th> <th>बैंक द्वारा गलती से किया गया नामे</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>2488.90</td><td>543.06</td></tr> <tr><td>8</td><td>264.54</td><td>198.61</td></tr> <tr><td>9</td><td>10.03</td><td>--</td></tr> <tr><td>11</td><td>2090.62</td><td>1566.60</td></tr> <tr><td>24</td><td>665.56</td><td>278.36</td></tr> <tr><td>25</td><td>860.70</td><td>265.95</td></tr> <tr><td>10</td><td>2598.01</td><td>10655.59</td></tr> <tr><td>21</td><td>307.87</td><td>331.81</td></tr> <tr><td>22</td><td>139.56</td><td>99.08</td></tr> <tr><td>कुल</td><td>9425.79</td><td>13939.06</td></tr> </tbody> </table> <p>त्रुटिपूर्ण नामे / जमा / लापता जमा के वर्षवार ब्योरे के अभाव में तथा समायोजन न होने के कारण उपर्युक्त खातों के वास्तविक शेष का पता नहीं लगाया जा सकता।</p> <p>इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था किन्तु त्रुटिपूर्ण जमा/नामे के समाधान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वार्षिक खातों में दर्शाये गये बैंक के शेष की प्रमाणिकता का, समय बाधित चेकों के समाधान/नों एकाउंटिंग जिन्हें खातों में रद्द नहीं किया गया तथा विचार नहीं किया गया था, के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) इन आंकड़ों का समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। उसने यह भी कहा कि अब तक त्रुटिपूर्ण नामे में 1.72 करोड़ रुपये तथा त्रुटिपूर्ण जमा में 5.53 करोड़ रुपये की कमी आई है। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभिन्न खातों में अब भी सम्भारित की जाने वाली एक बड़ी राशि की तुलना में समाधान बहुत ही कम है।</p>		खाता संख्या	बैंक द्वारा गलती से किया गया जमा	बैंक द्वारा गलती से किया गया नामे	5	2488.90	543.06	8	264.54	198.61	9	10.03	--	11	2090.62	1566.60	24	665.56	278.36	25	860.70	265.95	10	2598.01	10655.59	21	307.87	331.81	22	139.56	99.08	कुल	9425.79	13939.06	<p>इन आंकड़ों का समाधान एक निरंतर प्रक्रिया है तथा तदनुसार बैंक के साथ आंकड़ों का मिलान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप मुख्यालय द्वारा रखे गये खातों से संबंधित त्रुटिपूर्ण नामे 28.23% जबकि त्रुटिपूर्ण जमा 7.97% घट गया। शेष खातों का रखरखाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा इन खातों में त्रुटिपूर्ण नामे/जमा का मदवार ब्योरा संगठन के ही फील्ड कार्यालयों द्वारा रखा जाता है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इनका निपटान करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में हो रही प्रगति को मुख्यालय द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। (तथापि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार त्रुटिपूर्ण नामे में अब तक 171.91 लाख रुपये तथा त्रुटिपूर्ण जमा में 552.79 लाख रुपये की कमी आई है।)</p>
खाता संख्या	बैंक द्वारा गलती से किया गया जमा	बैंक द्वारा गलती से किया गया नामे																																	
5	2488.90	543.06																																	
8	264.54	198.61																																	
9	10.03	--																																	
11	2090.62	1566.60																																	
24	665.56	278.36																																	
25	860.70	265.95																																	
10	2598.01	10655.59																																	
21	307.87	331.81																																	
22	139.56	99.08																																	
कुल	9425.79	13939.06																																	
<p>2.2.6 परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन</p> <p>जी.एफ.आर. 1961 के नियम 116 (1) के अनुसार वर्ष में एक बार परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना चाहिये परन्तु वर्ष 2003-2004 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः तुलनापत्र में दर्शायी गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य को लेखा परीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर 2004) की परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।</p>		<p>कुछ क्षेत्रों की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.3.2004 तक पूरा नहीं किया जा सका तथा यह कार्य प्रगति पर है।</p>																																	
<p>2.2.7 अधिक अदायगी/अनियमित अदायगी</p> <p>(क) अधिक अदायगियाँ</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को की गयी अधिक अदायगियों को क्षेत्रों के तुलन पत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। पिछले पांच वर्षों में सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलन पत्र में निम्नलिखित रूप से दर्शाये गये हैं। (रुपये लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>आदि शेष</th> <th>जोड़ें - अदा की गयी राशि</th> <th>घटाएँ - वसूल की गयी राशि</th> <th>अंतःशेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1999-2000</td><td>14.38</td><td>5.11</td><td>2.70</td><td>16.79</td></tr> <tr><td>2000-2001</td><td>16.79</td><td>10.20</td><td>7.07</td><td>19.92</td></tr> <tr><td>2001-2002</td><td>19.92</td><td>35.16</td><td>19.83</td><td>36.05</td></tr> <tr><td>2002-2003</td><td>36.05</td><td>15.99</td><td>6.95</td><td>45.09</td></tr> <tr><td>2003-2004</td><td>45.09</td><td>21.23</td><td>9.31</td><td>57.01</td></tr> </tbody> </table> <p>पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था किन्तु अधिक अदा की गयी राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिक अदायगियों</p>		वर्ष	आदि शेष	जोड़ें - अदा की गयी राशि	घटाएँ - वसूल की गयी राशि	अंतःशेष	1999-2000	14.38	5.11	2.70	16.79	2000-2001	16.79	10.20	7.07	19.92	2001-2002	19.92	35.16	19.83	36.05	2002-2003	36.05	15.99	6.95	45.09	2003-2004	45.09	21.23	9.31	57.01	<p>वर्ष 2003-04 के दौरान 21.23 लाख रुपये की राशि की अधिक अदायगी की गयी जबकि इसी अवधि के दौरान 9.31 लाख रुपये की वसूली की गयी। फील्ड इकाइयों में अधिक/अनियमित अदायगियों का पता लगाने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसका पता लगाने के बाद संबंधित इकाई द्वारा उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुपातिक दण्डात्मक कार्रवाई करके नुकसान को पूरा किया जाता है। इन अदायगियों का उचित लेखा जोखा रखा जाता है तथा अधिक अदायगी रजिस्टर</p>			
वर्ष	आदि शेष	जोड़ें - अदा की गयी राशि	घटाएँ - वसूल की गयी राशि	अंतःशेष																															
1999-2000	14.38	5.11	2.70	16.79																															
2000-2001	16.79	10.20	7.07	19.92																															
2001-2002	19.92	35.16	19.83	36.05																															
2002-2003	36.05	15.99	6.95	45.09																															
2003-2004	45.09	21.23	9.31	57.01																															

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

को "परिसंपत्तियों" के रूप में दर्शाना अनियमित था। इसे आय एवं व्यय लेखों में उपयुक्त रूप से दर्शाना चाहिए था। तुलनपत्र में दर्शाया गया सभी अधिक अदायगियां पूरी तरह वसूलनीय नहीं हैं। अतः इन अदायगियों को परिसंपत्तियां नहीं माना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का अधिक दर्शाना तथा आय/व्यय को कम दर्शाया गया जिसे ठीक से नहीं बताया जा सकता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (जुलाई 2004) क्षेत्रों को वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निदेश दिये गये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आगे कहा कि (दिसम्बर 2004) 2003-04 के दौरान 21.23 लाख रुपये की अधिक अदा की गयी राशि में से 9.31 लाख रुपये वसूल कर लिये गये।

ख. अनियमित अदायगियां

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कपटपूर्ण अदा की गयी राशि को क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलनपत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। पिछले वर्ष में सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलनपत्र में निम्नलिखित रूप में दर्शाये गये हैं।

(रूपये लाखों में)

वर्ष	आदि शेष	जाड़े - अदा की गयी राशि	घटावें - वसूल की गयी राशि	अंतःशेष
1999-2000	72.16	-	-	72.16
2000-2001	72.16	3.81	-	75.97
2001-2002	75.97	-	-	75.97
2002-2003	75.97	0.21	-	76.18
2003-2004	76.18	195.58	0.21	271.55

वर्ष के दौरान कपटपूर्ण/अनियमित अदायगी की बहुत बड़ी राशि (1.96 करोड़ रुपये) थी जिसकी पूर्ण रूप से जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अनियमित अदायगी को परिसंपत्ति के रूप में दर्शाना अनियमित था। इसे आय एवं व्यय लेखों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गयी सभी अनियमित अदायगियां वसूलनीय नहीं हैं। अतः इन अदायगियों को परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए वसूल न किये जा सकने वाली अनियमित अदायगियों की सोमा तक परिसंपत्तियों का अधिक तथा व्यय का कम दर्शाना सामने आया है, जिसका ठीक ढंग से निर्धारण नहीं किया जा सकता।

इसे पिछले वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी दर्शाया गया था किन्तु राशि को वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) क्षेत्रीय कार्यालयों ने इन अदायगियों की वसूली में शामिल संगठन के कर्मचारियों तथा कुछ बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी मुकद्दमें/आपराधिक मुकद्दमें दायर किये हैं।

2.2.8 विभिन्न नाम/जमा

प्रत्येक योजना से संबंधित तुलनपत्र में निम्नलिखित स्थिति पाई गयी :-

(रूपये लाखों में)

योजना	विभिन्न जमा	विभिन्न नाम
क.भ.नि.योजना, 1952	13577.39	9068.44
क.पे.योजना, 1995	4688.64	12222.19
क.नि.स.बौ.योजना, 1976	1987.14	975.20
कुल	20253.17	22265.83

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न जमा/नामों का वर्षवार ब्यौरा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है इसके कारण विभिन्न जमा/नामों का सही होने का सत्यापन नहीं किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) उचित लेखों के अंतर्गत वर्षवार/मदवार ब्यौरा क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय/उपलेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध है तथा क्षेत्रीय आयुक्तों की आवधिक समीक्षा बैठकों में मुख्यालय द्वारा प्रगति का मॉनीटर किया गया।

संगठन की टिप्पणियां

और अधिक अदायगी समिति के द्वारा इसे मॉनीटर किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत अधिकतर राशि 1999-2000 से पूर्व अवधि की है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस राशि की वसूली हेतु संगठन के कर्मचारियों तथा इन अदायगियों में शामिल बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध दीवानी/अपराधिक मुकद्दमा दायर किया है। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से जांच/मागले चल रहे हैं।

चूंकि इन उचित लेखों के अंतर्गत वर्षवार/मदवार ब्यौरा क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय / उपलेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध है अतः उनको इन्हें निपटाने का निदेश दिया गया है। क्षेत्रीय आयुक्तों की आवधिक समीक्षा बैठकों में मुख्यालय द्वारा प्रगति को मॉनीटर किया जा रहा है।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां								
<p>2.2.9 तुलनपत्र की पाद टिप्पणी में देयराशि को न दर्शाना</p> <p>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र की पाद-टिप्पणी में निम्नलिखित राशि को नहीं दर्शाया गया है :-</p> <p style="text-align: right;">(रूपये करोड़ों में)</p> <table border="0"> <tr> <td>क.पे.यो. 1995</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.3.2004 को क.पे.यो. अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी</td> <td style="text-align: right;">71.96 रूपये</td> </tr> <tr> <td>क.नि.स.बीमा योजना</td> <td></td> </tr> <tr> <td>क.नि.स.बीमा अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी, प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार</td> <td style="text-align: right;">9.07 रूपये</td> </tr> </table> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि अपेक्षित सूचना पाद टिप्पणी में नहीं दी गयी है क्योंकि ये मद अंतिम लेखों के अनुमोदित प्रारूप के अंश नहीं थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तीय स्थिति की सही एवं उचित तथ्यों को उजागर करने वाली टिप्पणी अपेक्षित है।</p>	क.पे.यो. 1995		31.3.2004 को क.पे.यो. अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी	71.96 रूपये	क.नि.स.बीमा योजना		क.नि.स.बीमा अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी, प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार	9.07 रूपये	<p>अपेक्षित सूचना पाद-टिप्पणी में नहीं दर्शायी गयी थी कि ये मद अंतिम लेखों के अनुमोदित फार्मेट के भाग नहीं हैं।</p>
क.पे.यो. 1995									
31.3.2004 को क.पे.यो. अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी	71.96 रूपये								
क.नि.स.बीमा योजना									
क.नि.स.बीमा अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी, प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार	9.07 रूपये								
<p>2.2.10 ऋणात्मक नकद तथा बैंक शेष</p> <p>अनुसूचो-XXI के अनुसार 181.38 करोड़ रूपये की ऋणात्मक राशि दर्शायी गई है जोकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी किये गये बैंक के लेखों में दिनांक 31.3.2004 तक अंशदाताओं द्वारा उक्त बैंकों को भुनाया नहीं गया। बताया गया कि जारी किये गये बैंकों / धारकों को भुगतान की गयी राशि को ब्याज प्राप्ति हेतु अल्पावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया। अपनाई जा रही पद्धति तथा लेखा व्यवहार व्यवस्थित नहीं है।</p>	<p>(क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई ड्राफ्ट लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं थी।</p> <p>(ख) यह 181.38 करोड़ रूपये की ऋणात्मक राशि वास्तव में क.भ.नि.सं. की रोकड़ बही में दर्शाया जा रहा शेष है। यह शेष भूलतः, ऐसे बैंक जो जारी किए जा चुके हैं किन्तु 31 मार्च 2004 तक बैंक से नहीं भुनाये गये हैं, को दर्शाता है। वास्तव में यह ऋणात्मक शेष निधि के सर्वोत्तम उपयोग / बेहतर रोकड़ प्रबन्धन को दर्शाता है क्योंकि इसमें संगठन बैंक जारी करने तथा उसके बैंक से भुनाने के बीच की अवधि में इस राशि को निवेशित कर ब्याज आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों को बैंक जारी करते समय भविष्य में जमा होने वाले अंशदान तथा मुख्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित की जाने वाली राशि का भी ध्यान रखा जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जारी किए गए बैंकों का बैंक से भुगतान हो सके एवं साथ ही अतिरिक्त उपलब्ध निधि का समय से निवेश करके अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया जा सके।</p>								
<p>3. आय और व्यय लेखा</p> <p>3.1 व्यय</p> <p>3.1.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2003-04 के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप स्वर्ण सिक्के बांटे गये। जिस पर 9.78 करोड़ रूपये व्यय किया गया जिसे गलती से "कर्मचारियों को प्रोत्साहन" की जगह "प्रचार" शीर्ष के अंतर्गत कार्पोरेट मुख्यालय के आय-व्यय खाते में दर्ज किया गया।</p>	<p>संगठन के व्यय से संबंधित मानक लेखा शीर्षों में "कर्मचारियों को प्रोत्साहन" नामक कोई मानक लेखा शीर्ष नहीं है तथा इस प्रकार की गतिविधियों को पारम्परिक रूप से</p>								

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां																																																		
<p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) संगठन के व्यय प्रोफाइल में "कर्मचारियों को प्रोत्साहन" नामक कोई मानक लेखा शीर्ष नहीं था तथा इस प्रकार की गतिविधियों को पारम्परिक रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के "प्रचार" शीर्ष के अंतर्गत कवर किया गया था। उत्तर तकसंगत नहीं है क्योंकि कर्मचारियों को भुगतान किये गये प्रोत्साहन को "प्रचार" खाते का नहीं माना जा सकता।</p>	<p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के "प्रचार" शीर्ष के अंतर्गत कवर किया गया है।</p>																																																		
<p>3.1.2</p> <p>कम्प्यूटरी का "वार्षिक रखरखाव" शीर्ष के अंतर्गत कार्पोरेट मुख्यालय के आय और व्यय खातों में 80.44 लाख रुपये दर्शाये गये हैं जबकि सूचना सेवा प्रभाग के रिकार्ड के अनुसार मात्र 1.75 लाख रुपये बताए गये हैं। शेष 78.69 लाख रुपये का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि शीर्षों के गलत वर्गीकरण को सुधार प्रक्रिया जारी है।</p>	<p>80.44 लाख रुपये में हाईवेयर की खरीद आदि भी सम्मिलित है। इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीर्षों के गलत वर्गीकरण को सुधार प्रक्रिया जारी है।</p>																																																		
<p>3.1.3</p> <p>निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित आय और व्यय खातों में, खाता संख्या 4 से खाता संख्या 2 में अंतरित राशि में अंतर था, जिसके समाधान की आवश्यकता है :-</p> <p style="text-align: right;">(रूपये लाखों में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>क्षेत्र का नाम</th> <th>मुख्यालय द्वारा खाता सं० 4 से अंतरित राशि</th> <th>खाता सं० 2 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि</th> <th>अंतर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>मुख्यालय</td> <td>4422.10</td> <td>4443.39</td> <td>-21.29</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>झारखण्ड</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>5.99</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>महाराष्ट्र</td> <td>260.90</td> <td>226.54</td> <td>34.36</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>मध्य प्रदेश</td> <td>270.34</td> <td>230.04</td> <td>40.30</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>पंजाब</td> <td>164.04</td> <td>140.60</td> <td>23.44</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>तमिलनाडू</td> <td>268.89</td> <td>275.25</td> <td>11.64</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>उत्तर प्रदेश</td> <td>954.50</td> <td>921.31</td> <td>33.19</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>उत्तरांचल</td> <td>17.48</td> <td>11.49</td> <td>5.99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल</td> <td>6382.25</td> <td>6248.62</td> <td>133.62</td> </tr> </tbody> </table> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि सारांशतः यह अंतर खाता सं.2 में मार्गस्थ राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखरखाव किया जाता है तथा उक्त चित्रण बी.पी.आर. के अंतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोजित कर उसमें परिवर्तन के लिए प्रस्तावित है।</p>	क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	मुख्यालय द्वारा खाता सं० 4 से अंतरित राशि	खाता सं० 2 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि	अंतर	1.	मुख्यालय	4422.10	4443.39	-21.29	2.	झारखण्ड	6.00	0.00	5.99	3.	महाराष्ट्र	260.90	226.54	34.36	4.	मध्य प्रदेश	270.34	230.04	40.30	5.	पंजाब	164.04	140.60	23.44	6.	तमिलनाडू	268.89	275.25	11.64	7.	उत्तर प्रदेश	954.50	921.31	33.19	8.	उत्तरांचल	17.48	11.49	5.99	कुल		6382.25	6248.62	133.62	<p>सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्थ राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखरखाव किया जाता है। सभेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा दिया गया है तथापि उक्त चित्रण बी.पी.आर. के अंतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोजित कर उसमें परिवर्तन के लिए प्रस्तावित है।</p>
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	मुख्यालय द्वारा खाता सं० 4 से अंतरित राशि	खाता सं० 2 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि	अंतर																																															
1.	मुख्यालय	4422.10	4443.39	-21.29																																															
2.	झारखण्ड	6.00	0.00	5.99																																															
3.	महाराष्ट्र	260.90	226.54	34.36																																															
4.	मध्य प्रदेश	270.34	230.04	40.30																																															
5.	पंजाब	164.04	140.60	23.44																																															
6.	तमिलनाडू	268.89	275.25	11.64																																															
7.	उत्तर प्रदेश	954.50	921.31	33.19																																															
8.	उत्तरांचल	17.48	11.49	5.99																																															
कुल		6382.25	6248.62	133.62																																															
<p>4. प्राप्ति और भुगतान लेखा</p> <p>4.1 प्राप्ति</p> <p>4.1.1 प्राप्ति और भुगतान खाते में लेनदेन को नहीं दर्शाना</p> <p>(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्राप्ति के रूप में निम्नलिखित राशि को प्राप्ति और भुगतान खाता (अंशदान खाता) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में दर्शाया है।</p>	<p>(क) (i) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजा गई ड्राफ्ट लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं थी।</p>																																																		

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां		संगठन की टिप्पणियां
(रूपये करोड़ में)		
1.	वर्ष 2002-03 तक सरकार के अंशदान का बकाया	228.04
2.	सरकार का अंशदान 2003-04	221.95
3.	सार्वजनिक लेखा में शेष पर ब्याज	1815.43
<p>भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त राशि सार्वजनिक लेखा में जमा कर दी गयी है तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में इसे प्राप्ति के रूप में लिया गया है। उपर्युक्त सीधे अंशदान से किये गये भुगतान, जो निवेश के रूप में है, को प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया है। प्राप्ति और भुगतान खाते में शेष आंकड़ों को अंतःशेष के रूप में लिया गया है। इसलिए तुलनपत्र में दर्शाये गये आंकड़े प्राप्ति और भुगतान खाते में इंगित लेन-देन से संबंधित नहीं हो पाए।</p>		<p>(ii) कर्मचारी पेंशन योजना में प्राप्ति और भुगतान खाता (अंशदान खाता) मूलतः विभिन्न प्रकार के पेंशन अंशदान से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतान को दर्शाता है जिनके परिणामस्वरूप पेंशन निधि में वृद्धि / कमी होती है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पेंशन अंशदान को इस खाते में प्राप्ति में दिखाया जाता है क्योंकि इससे पेंशन निधि में वृद्धि होती है किन्तु इस अंशदान के लोक लेखा में निवेश से पेंशन निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता (अंशदान खाता) में इसे भुगतान की तरह नहीं दिखाया जा सकता।</p> <p>इस खाते में दर्शाया जा रहा अंतः शेष 31 मार्च 2004 को कुल पेंशन निधि को दर्शाता है जो विभिन्न प्रकार के निवेशों में (प्रतिभूतियां एवं लोक लेखा) में निवेशित है। नियोक्ताओं से प्राप्त नगद अंशदान के निवेश संबंधित प्रक्रिया में भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रावधान है।</p>
<p>(ख) इसी प्रकार, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के सार्वजनिक लेखा में निवेश पर सरकार से 239.87 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई जिसे प्राप्ति और भुगतान खाते में "प्राप्ति" के रूप में दर्शाया गया है। भारत सरकार के द्वारा इस राशि को सीधे सार्वजनिक लेखा में जमा कर दिया गया तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में इसे प्राप्ति के रूप में लिया गया है। उपर्युक्त सीधे अंशदान से किये गये भुगतान, जो निवेश के रूप में है, को प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया है। प्राप्ति और भुगतान खाते में शेष आंकड़ों को अंतःशेष के रूप में लिया गया है। इसलिए तुलनपत्र में दर्शाये गये आंकड़े प्राप्ति और भुगतान खाते में इंगित लेन-देन से संबंधित नहीं हो पाए हैं।</p>		<p>(ख) जो तर्क/स्पष्टीकरण कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित उपरोक्त टिप्पणी पर दिया गया है, वही तर्क/स्पष्टीकरण कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के संबंध में भी लागू है।</p>
<p>5. सामान्य 5.1 लेखों के फार्मेट</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों का रखरखाव दिनांक 21.12.1992 के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित लेखा फार्मेट में किया जाता है। वर्ष 1995 में कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के स्थान पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 लागू की गयी तथा इसके लेखों का रखरखाव कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के लिए निर्धारित फार्मेट में किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित फार्मेट में व्यवस्थित ढंग से लेखों के रखरखाव के संबंध में सी ए जी से परामर्श की आवश्यकता को भी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रिया उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 के अधिनियम 19) धारा 5-ए केन्द्रीय बोर्ड (5), 1988 के अधिनियम 33 के द्वारा जोड़ा गया। नए फार्मेट के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति प्राप्त करना अभी शेष है। इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था लेकिन इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) लेखा के फार्मेट के अनुमोदन से संबंधित मामला सीधे श्रम मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बीच चल रहा है तथा सी.ए.जी. द्वारा अनुमोदित लेखा फार्मेट को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की गयी है।</p>		<p>कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या जी-20017/3/97-एस.एस.-11 दिनांक 21.8.1997 के अनुसार परिवार पेंशन योजना, 1971 के लिए निर्धारित लेखा फार्मेट में कुछ बदलाव किये गये तथा संशोधित फार्मेट को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए, जिसमें चालू वर्ष का लेखा तैयार किया गया है, अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या बीएससी-6(5)/97/1359 दिनांक 1.10.1997 के द्वारा मंत्रालय को भेजा गया तबकि मंत्रालय उक्त फार्मेट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन हेतु अग्रहित कर सके। इसके पश्चात् इस संबंध में श्रम मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कई अनुस्मारक भेजे गये।</p>

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां																														
<p>5.2 उपचय (एकूअल) आधार पर लेखों के संशोधित प्रोफॉर्मा में वार्षिक लेखे तैयार न करना ।</p> <p>संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर समिति की सिफारिशों पर आधारित लेखों में समदर्शिता तथा पारदर्शिता लाने हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों का एक समान प्रारूप लागू किया है । लेखाकरण की संभूति पद्धति पर आधारित लेखों के इस प्रारूप को लेखा वर्ष 2001-02 से सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित करना अपेक्षित था । तथापि यह पाया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2003-04 के लिए अपने वार्षिक लेखे संभूति (एकूअल) आधार पर लेखों के नए प्रारूप में तैयार नहीं किये हैं । अतः आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वित्तीय स्थिति के यथार्थ व स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अर्थपूर्ण चित्रण नहीं करता । अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेखों का समान प्रारूप लागू करने तथा अपने खाते संभूति आधार पर संशोधित प्रारूप में संकलित करने की सलाह दी जाती है ।</p>	<p>(क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई ड्राफ्ट लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं थी ।</p> <p>(ख) क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रोफॉर्मा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अनुमोदित हैं, में ही बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी परिवर्तन के लिए भारत सरकार और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूर्व अनुमति अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिये लागू प्रारूप मुख्यतः ऐसे संगठनों के लिए है जो वाणिज्य संबंधी गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा क.भ.नि.सं. की मूल गतिविधि (सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना) को देखते हुए यह प्रोफॉर्मा किसी भी प्रकार से उपयोगी एवं अपनाये योग्य नहीं है। तथापि बी.पी.आर. के पश्चात् क.भ.नि.सं. की लेखांकन पद्धति में नकदी आधार से उपचय (एकूअल) आधार का मूलभूत परिवर्तन होना है ।</p>																														
<p>5.3 बैंक समाधान</p> <p>मुख्यालय की समेकित समाधान विवरणियों की संवीक्षा पर निम्नलिखित कमियां पाई गयीं: -</p> <p>(क) बैंक ने 3.40 लाख रुपये की राशि को गलत नामे किया है । सितम्बर, 1993 से संबंधित राशियों की संवीक्षा व सत्यापन अभी तक नहीं किया है ।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि बैंक द्वारा गलत नामे किये गये 3.40 लाख रुपये में से 2,871/- रुपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।</p> <p>(ख) 1993-94 से 2002-03 की अवधि से संबंधित बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 103.56 लाख रुपये की राशि का अभी तक समायोजन नहीं किया गया है ।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कहना है कि (दिसम्बर 2004) बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 1.04 करोड़ रुपये की राशि में से 17.18 लाख रुपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।</p>	<p>(क) बैंक द्वारा गलत नामे किये गये 3.40 लाख रुपये में से 2871/- रुपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।</p> <p>(ख) बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 103.56 लाख की राशि में से 17.18 लाख रुपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।</p>																														
<p>5.4 निवेश संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत न करना</p> <p>रिकार्ड की संवीक्षा पर पता चला कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निम्नलिखित राशि का निवेश किया है :-</p> <table border="1" data-bbox="243 1725 893 2072"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: right;">(करोड़ रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क)</td> <td>कर्मचारी भविष्य निधि</td> <td>71712.00</td> </tr> <tr> <td>(ख)</td> <td>स्टाफ भविष्य निधि</td> <td>260.17</td> </tr> <tr> <td>(ग)</td> <td>पेंशन एवं ग्रैज्युटी निधि</td> <td>314.45</td> </tr> <tr> <td>(घ)</td> <td>प्रशासन निधि</td> <td>1562.21</td> </tr> <tr> <td>(ङ)</td> <td>प्रतिभूतियों में निवेश</td> <td>29408.59</td> </tr> <tr> <td>(च)</td> <td>लोक लेखे में जमा</td> <td>23333.07</td> </tr> <tr> <td>(छ)</td> <td>प्रतिभूतियों में निवेश</td> <td>842.35</td> </tr> <tr> <td>(ज)</td> <td>लोक लेखे में जमा</td> <td>3061.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>130494.71</td> </tr> </tbody> </table>	(करोड़ रुपये में)			(क)	कर्मचारी भविष्य निधि	71712.00	(ख)	स्टाफ भविष्य निधि	260.17	(ग)	पेंशन एवं ग्रैज्युटी निधि	314.45	(घ)	प्रशासन निधि	1562.21	(ङ)	प्रतिभूतियों में निवेश	29408.59	(च)	लोक लेखे में जमा	23333.07	(छ)	प्रतिभूतियों में निवेश	842.35	(ज)	लोक लेखे में जमा	3061.87		कुल	130494.71	<p>(क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई ड्राफ्ट लेखा रिपोर्ट में शामिल नहीं थी ।</p> <p>(ख) लेखा परीक्षा दल ने मीमो न. 1 व 5 दिनांक 8-7-2004 के द्वारा निवेश संबंधी दस्तावेजों (सभी खातों से संबंधित निवेश रजिस्टर, वही खाते एवं ब्रॉड शीट) की माँग की, जोकि यू.ओ. नोट न. निवेश-1/1(15)/लेखा परीक्षा जवाब दिनांक 15-7-2000 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी ।</p> <p>इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के कुल निवेशों को सिद्ध करने/सत्यापित कराने के लिए दस्तावेजी</p>
(करोड़ रुपये में)																															
(क)	कर्मचारी भविष्य निधि	71712.00																													
(ख)	स्टाफ भविष्य निधि	260.17																													
(ग)	पेंशन एवं ग्रैज्युटी निधि	314.45																													
(घ)	प्रशासन निधि	1562.21																													
(ङ)	प्रतिभूतियों में निवेश	29408.59																													
(च)	लोक लेखे में जमा	23333.07																													
(छ)	प्रतिभूतियों में निवेश	842.35																													
(ज)	लोक लेखे में जमा	3061.87																													
	कुल	130494.71																													

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
<p>चूंकि संगठन द्वारा निवेश से संबंधित पत्राचार की फाइलें तथा अन्य रिकार्ड ऑडिट को सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये अतः ऑडिट में उपर्युक्त निवेशों की परिशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका।</p> <p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (जुलाई 2004) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की विभिन्न प्रकार से निवेशित राशि के व्यावसायिक प्रबंधन हेतु भारतीय स्टेट बैंक के दैनिक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तथा खरीद संबंधी रिकार्ड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जाते हैं।</p> <p>संगठन के लिए निवेशों की गणना बिक्री / खरीद के प्रत्यक्ष मूल्य पर की जाती है न कि उनके वास्तविक मूल्य पर। लेखों में इस संबंध में कुछ नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>साक्ष्य के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूति सेवा शाखा द्वारा जारी निवेश जमा पूंजी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा दल को दे दिया गया था।</p>
<p>6. तुलनपत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे पर ऑडिट की टिप्पणियों का प्रभाव</p> <p>पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गयी टिप्पणियों का प्रभाव यह है कि 31.3.2004 को परिसंपत्तियां 4.62 करोड़ रुपये कम दर्शायी गयी, दायित्व 2468.19 करोड़ रुपये कम दर्शाये गये तथा आय एवं व्यय दोनों 3.29 करोड़ रुपये कम दर्शाये गये।</p>	<p>संबंधित अनुच्छेदों के समक्ष यथोचित टिप्पणियां पहले ही दी गयी हैं।</p>

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.04.2005

हो/-
महा-निदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे तथा आय एवं व्यय लेखे व 31 मार्च, 2004 के तुलनपत्र को जांच कर ली है। मैंने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो अपेक्षित थे तथा संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गयी अभिव्यक्तियों के अधीन, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य लेखा-परीक्षा आपत्तियां शामिल हैं, जो अधिकांशतः पिछले कई वर्षों से निरंतर चली आ रही हैं :-

- तुलनपत्र में दायित्व पक्ष में 1.01 करोड़ रुपये "सामूहिक बीमा योजना (पुरानी)" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाये गये हैं, जबकि यह योजना समाप्त हो चुकी है तथा राशि का स्टाफ के पात्र सदस्यों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है। (अनुच्छेद 2.1.3);
- व्याज उंचत खाते में 8408.88 करोड़ रुपये का जमा शेष, जो अंशदाताओं के खातों में जमा /नामे किया जाना है, में 2002-03 तक 2332.18 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसका समाशोधन किया जाना शेष है। (अनुच्छेद 2.1.4);
- अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान एन.बी.सी.सी. लिमिटेड को भुगतान किये गये 63.36 लाख रुपये की अग्रिम राशि "भूमि तथा भवन निर्माण हेतु अग्रिम" शीर्षक के स्थान पर "भूमि तथा भवन निर्माण" शीर्षक के अंतर्गत बुक की गयी थी। (अनुच्छेद 2.2.2);
- परिसंपत्ति रजिस्टर में अधिग्रहित परिसंपत्तियों का रिकार्ड न होने के कारण "अधिग्रहित परिसंपत्तियां" तथा "भुगतान किये गये अग्रिमों" की राशि की परिशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका। (अनुच्छेद 2.2.3(i));
- तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, श्रम मंत्रालय द्वारा बुक की गयी राशि का समाधान न होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहवर्द्ध बीमा योजना के अंतर्गत निवेश राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। (अनुच्छेद 2.2.3(ii));
- वित्त वर्ष के अंत पर अंतरण में प्रेषित राशि का आगामी वित्त वर्ष में समायोजन किया जाता है तथा 1997-98 से पूर्व की अवधि के 92.90 करोड़ रुपये इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न खातों में शेष है। (अनुच्छेद 2.2.4);
- वर्षवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण 94.26 करोड़ रुपये की राशि के त्रुटिपूर्ण नामे तथा 139.39 करोड़ रुपये की राशि के त्रुटिपूर्ण जमा होने के कारण ये लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। (अनुच्छेद 2.2.5);
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्वयं जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में स्टाफ को प्रोत्साहन रूप में स्वर्ण-सिक्कों के वितरण पर व्यय किये गये 9.78 करोड़ रुपये कापॉरिट मुख्यालय से "प्रचार" शीर्षक के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में गलत बुक किये गये थे। (अनुच्छेद 3.1.1);
- लेखा परीक्षा को संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण 130494.71 करोड़ रुपये की निवेश राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। (अनुच्छेद 5.4);

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मेरी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाये गये उल्लेखों के अनुसार ये लेखे तथा तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट रूप दर्शाते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.04.2005

हो/-
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व